18

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2023-24)

अठारहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/फाल्गुन, 1944 (शक)

अठारहवां प्रतिवेदन

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2023-24)

20.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

17.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/फाल्गुन, 1944 (शक)

सी.यू.डी. संख्या – 135

मूल्यः .....रुपये

© 2019 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 382 (तेरहवां संस्करण) के अंतर्गत प्रकाशित और ..... द्वारा मुद्रित ।

		विषय सूची	
			पृष्ठ सं.
		समिति की संरचना.....	(iii)
		प्रस्तावना.....	(iv)
		प्रतिवेदन	
		भाग-एक	
एक	**प्रस्तावना**		1
दो	**आवासनऔर शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।**		1
तीन	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों) 2023-24) का संक्षिप्त विहंगावलोकन**		2
चार	**मंत्रालय का स्कीम-वार कार्य निष्पादन**		6-29
	(i)	**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)**	8
	(ii)	**शहरी परिवहन और मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम**	11
		शहरी परिवहन योजना और क्षमता निर्माण योजना	14
		संबंधित अवसंरचना और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी संबंधी पहल सहित सिटी बस सेवाओं का विस्तार	14
	(iii)	**अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)**	15
	(iv)	**स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)**	18
	(v)	**स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-एसबीएम (यू) और एसबीएम 2.0**	20
		एसबीएम (यू) के अंतर्गत कोई वार्षिक योजना या भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का न होना	22
		सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) और क्षमता निर्माण (सीबी)	22
		सार्वजनिक शौचालयों (ओ एंड एम) सामुदायिक शौचालयों (पीटी)/का प्रचालन एवं अनुरक्षण (सीटी)	23
		स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने में एसबीएम (यू) के अंतर्गत इंदौर को एक मॉडल शहर के रूप में प्रोत्साहित करना	24
	(vi)	**प्रधानमंत्री स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)**	24
	(vii)	**दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई - एनयूएलएम)**	27
पांच		**अन्य कार्यक्रम/परियोजनाएं/मामले**	29-31
	(i)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) क्षेत्र विकास योजना	29
	(ii)	विभिन्न योजनाओं और मिशनों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा विकसित विभिन्न निष्पादन ट्रैकिंग डैशबोर्ड	31
		भाग-दो	
		टिप्पणियां/सिफारिशें	32-45

		अनुबंध / परिशिष्ट	
अनुबंध-एक		गत पांच वर्षों का बजट अनुमान/संशोधित अनुमान, व्यय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संबंध में 2023-24 का वजट अनुमान	46-47
अनुबंध-दो		देश में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न मेट्रों रेल परियोजनाओं के ब्यौरे	48-49
अनुबंध-तीन		एसडब्ल्यूएपी आकार कुल प्रस्तावित, स्वीकृति योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे	50-51
अनुबंध-तीन क		एसडब्ल्यूएपी आकार उसकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्यवार ब्यौरे	52-53
अनुबंध-चार		राज्यवार स्मार्ट शिटी मिशन की वित्तीय और वास्तविक प्रगति	54-58
अनुबंध-पांच		स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 – वित्तीय प्रगति	59-60
परिशिष्ट एक		21 फरवरी 2023 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश	61-64
परिशिष्ट दो		14 मार्च 2023 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	65-66

(iii)

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. **एडवोकेट ए.एम. आरिफ़**
3. **श्री संजय कुमार बंदी**
4. **श्री श्रीरंग अप्पा बारणे**
5. **श्री बैन्नी बेहनन**
6. **श्री रामचरण बोहरा**
7. **श्री हिबी ईडन**
8. **श्री गौतम गंभीर**
9. **श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील**
10. **श्री शंकर लालवानी**
11. **श्रीमती हेमामालिनी**
12. **श्री हसनैन मसूदी**
13. **श्री पी .सी .मोहन**
14. **श्री सी .आर .पाटिल**
15. **श्री एस. रामलिंगम**
16. **श्री अदला प्रभाकर रेड्डी**
17. **श्रीमती अपराजिता सारंगी**
18. **श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण**
19. **श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे**
20. **श्री सुनील कुमार सोनी**
21. **साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर**

<u>राज्य सभा</u>

22. **श्री सुभाशीष चक्रबर्ती**
23. **श्री आर. गिरिराजन**
24. **श्रीमती जेबी माथेर हीशम**
25. **श्री रामचन्द्र जांगड़ा**
26. **श्री कुमार केतकर**
27. **डा. के. लक्ष्मण**
28. **सुश्री कविता पाटीदार**
29. **श्री एस. निरंजन रेड्डी**
30. **डा. कल्पना सैनी**
31. **श्री संजय सिंह**

सचिवालय

1.	**श्री वाई. एम. कंदपाल**	**-**	**संयुक्त सचिव**
2.	**श्रीमती अर्चना पठानिया**	**-**	**निदेशक**
3.	**सुश्री स्वाति परवल**	**-**	**उप सचिव**
4.	**श्री अभिषेक कुमार**	**-**	**सचिव के तहत**

प्राक्कथन

मैं, आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किए जाने पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) विषय पर यह अट्ठारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें लोक सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत 09 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर राखी गई थीं ।

3. समिति ने, 21 फरवरी 2023 को को हुई अपनी बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति, उसके समक्ष उपस्थित होने और विषय की जाँच के संबंध में अपेक्षित जानकारी देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है।

4. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा समिति को प्रदान की गई अमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

5. समिति ने 14 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

6. संदर्भ की सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2023
23 फाल्गुन, 1944 (शक)

श्री राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह
सभापति
आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग-एक

एक- प्रस्तावना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अधिक थी, जिसमें 31.2 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। बड़े शहरों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। यद्यपि तीव्र शहरीकरण से विकास के नए अवसर निर्मित होते हैं, फिर भी यह इससे कई चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। इस शहरी विकास को बनाए रखने के लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के व्यापक विकास की आवश्यकता है। इस परिवर्तन के साथ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी नेटवर्क, ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं, शहरव्यापी सड़कों, सार्वजनिक परिवहन और पैदलमार्गों पर लाइट लगाना और पैदल यात्री मार्गों जैसी सार्वजनिक संरक्षा प्रणालियों जैसी बुनियादी शहरी सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि नहीं हुई है। भारत में शहरीकरण की चुनौती बढ़े हुए न्यूनतम मानकों पर सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करना है।

2. शहरी विकास राज्य सूची का विषय है और संविधान (चौहत्तरवें) संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को कई कार्य प्रत्यायोजित किए गए हैं, जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। आवासनऔर शहरी कार्य मंत्रालय अपनी विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवासनयोजना (शहरी), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के माध्यम से योजनाबद्ध और कार्यक्रम सहायता प्रदान करके उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। इन्हें कई केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

दो- आवासनऔर शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

3. 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर आवासनऔर शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के बारहवें प्रतिवेदन को दिनांक 24.03.2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 'विभागों से संबंधित स्थायी समितियों (डीआरएससी) की प्रक्रिया नियम' के नियम 34(1) के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आवासनऔर शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार

द्वारा की गई कार्रवाई पर पंद्रहवां प्रतिवेदन दिनांक 04.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था/ राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। समिति द्वारा की गई 16 सिफारिशों में से 11 को स्वीकार कर लिया गया था। 05 सिफारिशों के उत्तर को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें पंद्रहवें प्रतिवेदन में दोहराया गया था। पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतिम कार्रवाई विवरण शीघ्र ही संसद के पटल पर रखा जाएगा।

तीन. <u>आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) का संक्षिप्त विहंगावलोकन</u>

4. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बजट मांग संख्या 60 के अंतर्गत वर्णित है।

5. मंत्रालय का वर्ष 2023-24 का समग्र बजट अनुमान (बीई) 80,198.60 करोड़ रुपये (सकल) है, जिसमें से 50592.32 करोड़ रुपये राजस्व खंड के अंतर्गत और 29,606.28 करोड़ रुपये पूंजीगत खंड के अंतर्गत हैं। 3,767 करोड़ रुपये की अनुमानित वसूली के बाद, वर्ष 2023-24 का शुद्ध बजट अनुमान 76,431.60 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के 76,549.46 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में थोड़ा कम है।

6. समग्र व्यय बजट, केन्द्र प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के हिस्से से संबंधित आंकड़े निम्नवत् हैं:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	**सरकार का कुल व्यय बजट**	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को बजटीय आबंटन का % हिस्सा**	**विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की केंद्र प्रायोजित योजना के लिए कुल आबंटन**	**केंद्र प्रायोजित योजना में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को आबंटन का % हिस्सा**	**केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए कुल आबंटन**	**केंद्रीय क्षेत्र योजना में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को आबंटन का प्रतिशत हिस्सा**

-2018 19	2442213.30	1.71	305517.12	7.03	708933.67	2.64
-2019 20	2786349.45	1.72	331609.58	7.24	870794.46	2.58
-2020 21	3042230.09	1.64	339894.53	7.31	831825.06	2.58
-2021 22	3483235.63	1.57	381304.55	6.52	1051703.41	2.49
-2022 23	3944908.67	1.94	442781.19	10.23	1181084.25	2.33
-2023 24	4503097.45	1.70	476104.59	9.68	1467879.99	1.80

7. मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से प्रस्तावित बजट परिव्यय, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय और प्रतिशत उपयोग निम्नवत् है:–

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	प्रस्तावित परिव्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	व्यय की प्रतिशतता
2020-21	82,986.65	50,039.90	47,090.17	46,701.37	99.81%
2021-22	98681.00	54,581.00	73,850.26	73840.46	99.98%
2022-23	99189.14	76,549.46	74545.64	58793.89*	78.87%
2023-24	86,378.21	76431.6			

*दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार

8. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय संशोधित अनुमान का शेष 21 प्रतिशत (लगभग 15755.57 करोड़ रुपये) दो माह से भी कम समय में खर्च करने को लेकर आश्वस्त है, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

"दिनांक 17.02.2023 की स्थिति के अनुसार व्यय 61626.28 (निवल) करोड़ रु. है। मंत्रालय व्यय प्रवृत्तियों की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है। एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं, पीएमएवाई (यू), 100 स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, एनयूएलएम, स्व-निधि और सीपीडब्ल्यूडी सहित मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत व्यय पहले ही संशोधित अनुमान 2022-23 के 82.59% को पार कर चुका है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच में शामिल प्रस्तावों और निधियों के पुनर्विनियोजन के लिए अपेक्षित अनुमोदन के लिए संसद की उचित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, मंत्रालय चालू वर्ष के लिए आरई पर आवंटित धन राशि का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए आशान्वित है।"

9. मंत्रालय के योजना-वार अनुमान, बजट अनुमान और समग्र बजट अनुमान उपबंधों में उनकी संरचना निम्नवत् हैं: -

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**योजनाएं**	**मंत्रालय द्वारा अनुमान**	**बजट अनुमान 2023-2024**	**कुल बजट अनुमान का प्रतिशत**
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई-यू]	30,196.44	25,103.03	33%
2.	मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) और मेट्रो परियोजनाएं	24,000	23,175.01	30%
3.	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)	8,000	8,000	10%
4.	100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए मिशन	8,758	8,000	10%
5.	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) – [एसबीएम - यू]	5,000	5,000	7%

6.	सामान्य पूल आवासन (आवासीय/गैर-आवासीय) – केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)	4,310.04	2,799.96	4%
7.	प्रधानमंत्री स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)	1,338	468	1%
8.	दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	468	0.01	-
9.	सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) क्षेत्र विकास	2.00	2	-
10.	गैर-योजना	4305.73	3883.59	5%
	कुल योग	86,378.21	76,431.60	100%

10. पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए बजटीय आबंटन वर्ष 2022-23 में 27,341 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2023-24 में 25,997.27 करोड़ रुपये हो गया है। राजस्व व्यय के लिए बजटीय आबंटन वर्ष 2022-23 में 49,208.45 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 50434.33 करोड़ रुपये हो गया है। यद्यपि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों का उपयोग अधिकतर पीएमएवाई (यू), अमृत, एसएमबी (यू) के अंतर्गत पूंजी निवेश में किया जाता है, फिर भी स्थापित प्रथा के अनुसार उनके लिए बजट की व्यवस्था राजस्व खंड के अंतर्गत किया जाता है।

11. बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में वृद्धि मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) (2700 करोड़ रुपये), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) (1200 करोड़ रुपये), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) (700 करोड़ रुपये) और प्रधानमंत्री स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) (318 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई है।

12. वित्त मंत्री ने बजट भाषण (2023-24) में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली निम्नलिखित घोषणाएं की हैं:

i. **आज के संपोषणीय शहर -** राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन सुधारों और कार्यों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि हमारे शहरों को 'कल के संपोषणीय शहरों' में परिवर्तित किया जा सके। इसका अर्थ है भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग, शहरी अवसंरचना के लिए पर्याप्त संसाधन, पारगमन-उन्मुख विकास, शहरी भूमि की उपलब्धता और सामर्थ्य में वृद्धि और सभी के लिए अवसर।

ii. **नगर निगम बांड के लिए शहरों को तैयार करना-** संपत्ति कर शासन सुधारों और शहरी अवसंरचना पर रिंग-फेंसिंग उपयोगकर्ता प्रभारों के माध्यम से, शहरों को नगरपालिका बांड के लिए अपनी क्रेडिट योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii. **अवसंरचना विकास निधि -** आरआईडीएफ के समान, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवासन बैंक द्वारा किया जाएगा, और इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए किया जाएगा। राज्यों को यूआईडीएफ को एक्सेस करने के दौरान उचित उपयोगकर्ता प्रभार को अपनाने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ-साथ विद्यमान योजनाओं से संसाधनों का लाभ प्राप्त के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की आशा करते हैं।

iv. **शहरी स्वच्छता-** सभी शहरों और कस्बों को मैनहोल से मशीन-होल मोड में परिवर्तित करने के लिए सेप्टिक टैंक और सीवर से यंत्रों की सहायता से 100 प्रतिशत कीचड़/गंदगी निकालने के लिए सक्षम किया जाएगा। सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए अधिक ध्यान दिया जाएगा।

13. जहां तक नगरपालिका बांडों से संबंधित वित्त मंत्रालय की बजटीय घोषणा का संबंध है, यह बताया गया है कि समिति ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर अपने बारहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न नगर निकायों की क्रेडिट योग्यता में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए ताकि वे म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से अतिरिक्त धन जुटा सकें।

चार- <u>मंत्रालय का योजना-वार निष्पादन</u>

14. वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में मंत्रालय द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के योजना-वार ब्योरे निम्नवत् हैं:-

(करोड़ रुपये में)

□□□.□□.	□□□□□□ □□□□□ (□□)	□□□ □□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□	**01.02.2023** □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□

1	□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ (□□□□)	28000	28708	21343	74.35%
2	□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□	23875	20401.1	17879.5	87.64%
3	□□□□ □□□□□□□□ □□□□ (□□□□)	7300	6500	5515.17	84.85%
4	100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन	6800	8800	7195.16	81.76%
5	सीपीडब्ल्यूडी के लिए प्रशिक्षण संस्थान सहित सामान्य पूल आवासन	3474.02	3374.02	2515.11	74.54%
6	स्वच्छ भारत मिशन	2300	2000	937.98	46.90%
7	दीनदयाल अन्त्योदय योजना -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	900	550	116.66	21.21%
8	पीएम स्वनिधि	150	433.94	162.08	37.35%
9	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र विकास योजना	2	2	0	0.00%
10	एनईआरयूडीपी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य परियोजनाएं	0	0	0	0.00%
11	अन्य योजनाएं*	0.00	0	0	0.00%
12	गैर-योजना	3748.44	3776.59	3129.22	82.86%

15. यह देखा जा सकता है कि कतिपय योजनाओं में जनवरी, 2023 तक उपयोग 50 प्रतिशत से कम रहा है। कतिपय योजनाओं में निधियों के कम उपयोग के संबंध में पूछे गए प्रश्न के संबंध में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् जानकारी दी:-

"सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से केन्द्रीय अंश (सीएस) जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय की संशोधित प्रक्रिया की शुरूआत के साथ, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों

को संशोधित प्रणाली की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपनी प्रणालियों को उनके अनुसार पुनः विकसित करना था। अधिकांश राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे और अधिकांश राज्यों ने अनुपालन के लिए समय लिया। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनिवार्यतः अनुपालन न होने के कारण, सीएस फंड जारी नहीं किया जा सका, भले ही वित्त प्रभाग द्वारा निधियों हेतु सहमति दे दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त प्रस्ताव पहले से प्राप्त होने और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने के बावजूद सीएस निधि कम (46.89%) जारी की गई।"

16. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संबंध में पिछले पांच वित्तीय वर्षों और बजट अनुमान 2023-24 के लिए योजना-वार बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/व्यय को दर्शाने वाला ब्योरा **अनुबंध-एक** में दिया गया है। मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आबंटन का योजना-वार विश्लेषण अनुवर्ती पैराओं में दिया गया है।

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू)

17. सभी के लिए आवास की सुविधा के सरकार के विजन के अनुसरण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) - 'सभी के लिए आवास' मिशन लागू कर रही है। मिशन की अवधि दिनांक 31.03.2022 तक थी, जिसे 2.03 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की अनुमानित आवश्यकता के साथ दिनांक 31.03.2022 तक स्वीकृत किए गए 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है। सकल बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से आबंटित करने और जारी करने का ब्योरा निम्नवत् है:-

क. सकल बजटीय सहायता:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2015-16	5088.31	1662.73	1486.15
2016-17	5075.00	4936.10	4872.92
2017-18	6042.81	8642.01	8591.35
2018-19	6,505.00	6,505.01	6,143.79
2019-20	6,853.26	6853.26	6,851.09
2020-21	8,000.00	21,000.00	20,983.16

2021-22	8,000.00	27,000.00	26,963.00
2022-23	28,000.00	28,708.00	21,343.03 (दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार)
2023-24	25,103.00	-	-

ख .अतिरिक्त बजटीय संसाधान:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	**प्रावधान किए गए /जुटाए गए अतिरिक्त बजटीय संसाधन**	**वास्तविक व्यय**
2017-18	8,000	8,000
2018-19	20,000.00	20,000.00
2019-20	15,000.00	15,000.00
2020-21	10,000.00	10,000.00

18. यह पूछे जाने पर कि क्या दिनांक 31.12.2024 तक 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ,वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया वित्तीय आबंटन पर्याप्त है, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया :–

> "विस्तारित योजना अवधि के दौरान जारी की जाने वाली शेष केंद्रीय सहायता को ध्यान में रखते हुए ,एचएफए निदेशालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के रूप में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 30,196.44 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। हालांकि ,योजना के लिए केवल 25,103.03 करोड़ रूपये प्रदान किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उचित स्तर पर अतिरिक्त फंड की मांग की जाएगी।"

19. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए योजना का अनुमानित परिव्यय 30196.44 करोड़ रुपये था। तथापि, बजट अनुमान 2023-24 में 2510303 करोड़ रुपये का वित्तीय आबंटन किया गया है। इस संबंध में, प्रश्न का उत्तर देते हुए, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को निम्नवत् बताया :

> "हमने आज तक पीएमएवाई मे एक लाख तीन हजार करोड़ रूपये खर्च किया है। आप एवरेज देख लीजिए कि बीस से तीस हजार करोड़ रूपये आ रहे हैं। इस साल भी यह पचीस हजार

करोड़ रूपये है। हर साल एवरेज पचीस के करीब ही होता है। एक लाख बारह हजार घरों को बनाने के लिए हमने प्रजेंटेशन में टोटल फण्ड रिक्वायरमेंट बताई थी ,जो करीब 59 हजार करोड़ रूपये है। 25 हजार करोड़ रूपये 2023-24 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और करीब 34 हजार करोड़ रूपये नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड किए जायेंगे। ये 59 हजार करोड़ रूपये अगर सारे घर जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पांच परसेंट तो ड्राप आउट भी होंगे ही, एक्सपेक्टेड है कि हंड्रेड प्रेसेंट तो नहीं होंगे, तो टोटल 59 हजार करोड़ रूपये, जिसमें 25 हजार करोड़ इस साल और बाकी अगले साल फण्ड की रिक्वायरमेंट है।"

20. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय व्यय के पैटर्न और वर्ष 2024 में निर्धारित आम चुनाव को देखते हुए दिनांक 31.12.2024 तक 2.03 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध वित्तीय परिव्यय को पूरा करने में सक्षम होगा ,मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

"2.03 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत केंद्रीय सहायता में से, 15.02.2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएनए को कुल 1.39 लाख करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं जो चालू वित्त वर्ष के अंत तक 1.44 लाख करोड़ रुपये तक हो जाएगा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वृद्धि बाद, योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की कुल राशि 1.68 लाख करोड़ रूपये होगी। मंत्रालय केंद्रीय सहायता समय पर जारी करने के लिए सभी अनुपालनों को जल्दी पूरा करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जा रही प्रगति को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि मंत्रालय मांग के काफी हिस्से को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही उचित स्तर पर अतिरिक्त धनराशि की मांग कर सकता है। इसलिए, वित्त वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता की शेष मांग जारी की जाएगी।"

21. जहां तक योजना के अंतिम वर्षों के दौरान व्यय में तेजी का संबंध है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

"योजना के आरंभिक वर्षों के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निधियों की मांग कम थी क्योंकि स्वीकृत परियोजनाओं में केवल पहली किस्त ही जारी की गई थी। हालांकि, बाद की अवधि के दौरान, नई परियोजनाओं की क्रमिक स्वीकृति और पहले से स्वीकृत परियोजनाओं में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति के साथ योजना के अंतर्गत निधि की आवश्यकता में काफी वृद्धि हुई और शेष किस्तों को जारी करने के लिए दावे प्राप्त हुए। तदनुसार, मिशन ने योजना के बाद के वर्षों के दौरान निधियों की बढ़ी हुई मांग का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2019-20 में 21,853.26 करोड़ रूपये; वित्त वर्ष 2020-21 में 31,000.00 करोड़ रूपये; वित्त वर्ष

2021-22 में 27,023.57 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 में 28,708.01 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 25,103.03 करोड़ रुपये का आबंटन पीएमएवाई-यू के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और अतिरिक्त बजटीय सहायता (ईबीआर) के माध्यम से प्रदान किए गए हैं।"

22. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच अंतर के संबंध में, मंत्रालय ने समिति को बताया कि ब्याज सब्सिडी जारी करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बजट अनुमान आबंटन के अलावा संशोधित अनुमान 2022-23 में 5,500.00 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। तथापि योजना को संशोधित अनुमान 2022-23 में 708.00 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले और शेष राशि को योजना के अन्य शीर्षों से पुनर्विनियोजित किया जाएगा। और उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि पूरे आबंटन का उपयोग चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में किया जाएगा।

(ii) शहरी परिवहन / मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

23. वर्ष 2018-19 से मेट्रो/आरआरटीएस परियोजनाओं के संबंध में बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और जारी किए गए वास्तविक निधियों का ब्योरा निम्नवत् है:-

(करोड़ रुपये में आंकड़े)

वर्ष	**बजट अनुमान (बीई)**	**संशोधित अनुमान (आरई)**	**जारी की गई वास्तविक निधि**
2018-19	14973.60	15573.60	14414.60
2019-20	19102.88	18850.94	18850.94
2020-21	19969.40	8970.99	8970.99
2021-22	23470.00	23450.00	23450.00
2022-23	23840.00	20385.62	17879.48 (दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार)
2023-24	23114.00	-	-

24. भारत सरकार द्वारा देश में वित्तपोषित विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में ब्योरे को **अनुबंध-दो** में दिया गया है।

25. यह देखा जा सकता है कि पटना, सूरत, आगरा, भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति बहुत धीमी है। कुछ मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के कारणों के संबंध में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने समिति को निम्नवत् बताया:-

"हमारे तीन मेट्रो प्रोजेक्ट्स सबसे डिले है, पटना भोपाल और इंदौर। ये काफी समय से नॉन स्टार्टर थे। हमने राज्य सरकार को भी चिट्ठी लिखी है की मेट्रो में फुलटाइम एमडी लगाया जाए। मेट्रो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। टेंडर करते है, तो टेंडर की प्री क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स, टर्म्स और कंडीशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर एमडी पार्ट टाइम होता है, तो समझने में भी दिक्कत होती है। भोपाल, इंदौर और पटना में ये समस्या रही है। हमने राज्य सरकार से कहा है कि फुल टाइम एमडी रखिये और उनको बार बार न बदले। मध्य प्रदेश में यह भी समस्या रही है कि मेट्रो के सीईओज़ बदलते रहे हैं। मैने पिछले वीक भोपाल का रिव्यु किया था, अब लग रहा है कि वहां स्पीड ठीक हो रही है। उन्होंने सारे वर्क आर्डर कर दिए हैं। भोपाल और इंदौर में मेट्रो के काफी पिछड़े हुए केसेज हैं। भोपाल, इंदौर और पटना के अलावा कोई नहीं है। पटना में तो डीएमआरसी को दिया गया है। उसके बाबजूद भी काफी डिले हुआ है। अभी जायका का लोन भी स्वीकृत नहीं हुआ है।"

26. साक्ष्य बैठक के दौरान, समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेट्रो परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब का एक कारण मेट्रो कॉर्पोरेशनों में एक समर्पित प्रबंध निदेशक (एमडी) की कमी है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्णकालिक समर्पित निदेशक वाले मेट्रो कॉर्पोरेशनों का ब्योरा निम्नवत् है:

क्र.सं.	**मेट्रो का नाम**	**प्रबंध निदेशक का नाम**	**पूर्ण कालिक / अतिरिक्त प्रभार**	**प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त की तिथि**
1.	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्री विकास कुमार	पूर्ण कालिक	01.04.2022
2	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में नागपुर मेट्रो)	श्री ब्रिजेश दिक्षित	पूर्ण कालिक	18.02.2015
3	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्री सुनिल कुमार	पूर्ण कालिक (Acting)	01.07.2022

4	कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्री लोकनात बहेरा	पूर्ण कालिक	27.08.2021
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी)	श्री विजय कुमार सिंह	पूर्ण कालिक	04.08.2016
6	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्री अर्जुन परवेज	पूर्ण कालिक	15.07.2021
7	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	श्री एम .ए .सिद्दकी	पूर्ण कालिक	12.06.2022
8	गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) लिमिटेड	श्री एस .एस .राठौर	अतिरिक्त प्रभार	01.08.2019
9	मुंबई मेट्रो लाइन 3	श्रीमती अश्विनी सतीश भिड़े	अतिरिक्त प्रभार	13.07.2022
10	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	श्रीमती रितु महेश्वरी	अतिरिक्त प्रभार	09.09.2019
11	पटना मेट्रो रेल परियोजना	श्री आनंद किशोर	अतिरिक्त प्रभार	16.10.2019
12	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	श्री मनीष सिंह	अतिरिक्त प्रभार	11.11.2022

27. मेट्रो/आरआरटीएस के लक्ष्यों और चालू करने का ब्योरा निम्नवत् है:-

मापनीय परिणाम संकेतक	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**
	ल*	उ**	ल*	उ**	ल*	उ**	ल*	उ**	ल*	उ**	ल*
आरआरटीएस नेटवर्क को चालू करना	80	196.74	40.822	37.25	37	21.35	61.55	31.74	105.4	84.20	77.8

(किमी में)											

* लक्ष्य

** उपलब्धि

शहरी परिवहन योजना और क्षमता निर्माण योजना

28. परिवहन और यातायात संबंधी अध्ययन करने के लिए अगस्त, 2008 में शहरी परिवहन योजना और क्षमता निर्माण स्कीम तैयार की गई थी। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के अनुरूप, इस योजना का उद्देश्य व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी)/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/परिवहन अध्ययन तैयार करके व्यापक और एकीकृत शहरी परिवहन योजना, भूमि और परिवहन के उपयोग के एकीकरण को बढ़ावा देना; कुशाग्र परिवहन प्रणालियों को अपनाना; जागरूकता अभियान आदि का शुभारंभ करना है। इस योजना की वर्तमान अवधि 31/03/2023 तक है। इस योजना ने शहरी परिवहन के क्षेत्र में कई सीएमपी/डीपीआर/परिवहन अध्ययन/अनुसंधान को सफलतापूर्वक पूरा करने में बहुत योगदान दिया है।

29. योजना के भावी रोडमैप के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया है कि संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ योजना के विस्तार का प्रस्ताव चल रहा है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए योजना के संशोधित दिशा-निर्देश पुनः एक बार सभी हितधारकों को परिचालित किए जाएंगे। योजना के बारे में जागरूकता और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए मंत्रालय योजना के दिशा-निर्देशों को राज्य सरकारों को परिचालित कर रहा है और यह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संबंधित अवसंरचना और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी संबंधी पहल सहित सिटी बस सेवाओं का विस्तार

30. बजट भाषण 2021-22 में, वित्त मंत्री ने सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में सहायता करने के लिए 18,000 करोड़ रूपये लागत की एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की। यह कहा गया था कि योजना नवाचारी पीपीपी मॉडल के विकास की सुविधाजनक बनाएगे ताकि निजी क्षेत्र के उद्यमियों को 20,000 से अधिक बसों के वित्तपोषण, अधिग्रहण, संचालन और रखरखाव के अधिकार प्रदान किया जा सके। घोषणा के बाद से समिति ने अनुदानों की मांगों (2021-22) पर अपने पांचवे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) और अनुदानों की मांगों (2022-23) पर अपने बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में योजना को अब तक क्रियान्वित न करने बारे में जांच की और योजना को मिशन मोड पर लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

31. समिति के बारहवें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा अर्धवार्षिक विवरण में यह सूचित किया गया है कि प्रस्तावित योजना का मसौदा कैबिनेट नोट, जिसे दिनांक 17.05.2022 को वित्त मंत्रालय को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया था, उसे मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट नोट का प्रारुप कैबिनेट के अनुमोदन के लिए अग्रिम चरण में है।

32. यह पूछे जाने पर कि क्या योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया है या बजट अनुमान 2023-24 में इस योजना के लिए कोई बजटीय आबंटन किया गया है, मंत्रालय ने बताया कि सिटी बस सेवा योजना के संवर्धन से संबंधित प्रारुप कैबिनेट टिप्पण पर माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन दिनांक 05.12.2022 को प्राप्त हो गया है और कैबिनेट के विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(iii) <u>अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)</u>

33. अमृत को पहले राष्ट्रीय शहरी जल केंद्रित मिशन के रूप में 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य सार्वभौमिक जल आपूर्ति प्रदान करने, सीवरेज और सेप्टेज को महत्वपूर्ण रूप से अपग्रेड करने, जल निकासी सुविधाएं प्रदान करने, गैर-मोटर चालित परिवहन तथा पार्कों और हरित स्थानों के विकास से, शहरी भारत के 60% से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों में रहने वाले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। योजना का वित्तीय परिव्यय 05 वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक 50000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 1 लाख करोड़ रुपये था।

34. मिशन को मार्च, 2023 तक बढ़ाया गया था और चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत शामिल किया गया था। प्रश्न क्या चल रही सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है के उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि अमृत के अंतर्गत अब तक 5,883 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 4,764 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पूर्ण परियोजनाओं, अर्थात् 77,640 करोड़ के स्वीकृत योजना आकार के 88%, सहित 68,730 करोड़ रूपये के वास्तविक कार्य किए गए हैं। चल रही परियोजनाएं पूर्णता के उन्नत चरण में हैं। कई प्रमुख अमृत परियोजनाओं में लंबी कार्यान्वयन अवधि के कारण विलंब हुआ है और स्थानीय बाधाओं और प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण राज्य कार्य योजनाओं में संशोधन करना पडा। इसके अलावा, योग्य बोलीदाताओं की कमी, उद्धृत उच्च दरों के कारण बार-बार बोली लगाने, आदर्श आचार संहिता, शामिल प्रक्रियाओं के कारण बाह्य निधि प्राप्त करने में विलंब और प्राकृतिक आपदा आदि के कारण परियोजनाओं में देरी हुई। चल रही अमृत परियोजनाओं में से कुछ को पूरा होने में 6 माह से एक वर्ष तक का समय लग सकता है।

35. 'परिवर्तन से संतृप्ति' की भावना और अमृत के अंतर्गत उत्पन्न प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री ने शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने और लगभग 4,852 यूएलबी में सभी परिवारों को कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 की शुरुआत की है। यह 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के सार्वभौमिक कवरेज को भी लक्षित करता है। यह 2.68 करोड़ नए नल और 2.64 करोड़ नए सीवर कनेक्शन प्रदान करके हासिल किया जाएगा। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 76,760 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 2,77,000 करोड़ रुपये है।

36. केन्द्रीय सहायता जारी करने के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता (सीए) अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी)/राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) के आधार पर 20:40:40 की किस्तों में जारी की जाती है।

37. अमृत मिशन के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नवत् रहे हैं:-

(करोड़ रुपये में आंकड़े)

वित्त वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2020-21	7,300	6,450	6,450.42 (100%)
2021-22	7,300	7,300	7,287.56 (99.83%)
2022-23	7,300	6,500	5515.17* (84.85%)
2023-24	8,000	-	-

* दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार

38. यह पूछे जाने पर कि क्या मिशन के लिए किए गए आबंटन में चल रहे अमृत मिशन के बजटीय आबंटन भी शामिल हैं, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

> "जी नहीं, अमृत 2.0 मिशन दिशा-निर्देशों के अनुसार मार्च 2023 तक अमृत परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि आवंटित की गई है, इसके अलावा अमृत 2.0 के लिए 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय आबंटन किया गया है।"

39. पानी और सीवेज के लिए बजट की पर्याप्तता के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया:-

"अमृत स्वाप में बजट क्या वाटर एंड सीवेज के लिए सफिशिएंट है जैसे मैंने बताया सीवेज में कही भी सफिशिएंट नहीं है वाटर में सफिशिएंट है।

देश में सीवेज की टोटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है अर्बन एरियाज में फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वह कही ज्यादा है जितना हम प्रोवाइड कर रहे है उससे कही बहुत ज्यादा फण्ड की रिक्वायरमेंट है।

'अमृत' में 8 हज़ार करोड़ रुपये है। खास तौर पर 'अमृत' में, जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप पूरे देश में सीवेज नेटवर्क डालना चाहते है तो उसकी रिक्वायरमेंट करीब 3 लाख करोड़ रुपये की है जिसके लिए इस एलोकेशन से कहीं ज्यादा एलोकेशन चाहिए।"

40. योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के संबंध में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

वित्तीय वर्ष	**भौतिक प्रगति**	**वित्तीय प्रगति**
2021-22	• • 6 राज्यों (एसड्ब्ल्यूएपीआई) के लिए 26,057.67 करोड़ रुपये (ओ एंड एम सहित) की 1,115 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।	• • परियोजनाओं के लिए 455.78 करोड़ रुपये और ए एवं ओई के लिए 528.20 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता जारी की गई और ए एवं ओई के लिए 11.36 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।
2022-23	• • 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1,03,578.85 करोड़ रुपये (ओ एवं एम सहित) की लागत वाली 5,412 परियोजनाएं (स्वैप I, II, III और विशेष स्वैप) को स्वीकृति प्रदान की गई। • • दिनांक 16-02-2023 की स्थिति के अनुसार, परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत् है: • • डीपीआर तैयार किया गया -	• • परियोजनाओं के लिए 4,862.19 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई और ए एंड ओई के लिए 0.27 करोड़ रुपये जारी किए गए।

	29,824 करोड़ रुपये की 1,575 परियोजनाएं, जिनमें से • • एनआईटी जारी किए गए - 10,792 करोड़ रुपये की 366 परियोजनाएं, जिनमें से • • जिनकी नींव डाली जा चुकी है - 2,787 करोड़ रुपये की 202 परियोजनाएं, जिनमें से • 90 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।	

41. एसडब्ल्यूएपी आकार, प्रस्तावित परियोजना की कुल संख्या, अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या और प्रतिशत के संदर्भ में वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्यवार ब्योरा क्रमशः अनुबंध-तीन और तीन-क में दिया गया है।

42. अमृत 2.0 के पेपरलेस मिशन किए जाने के लाभों के बारे में विस्तार से बताते हुए, मंत्रालय ने अपने मौखिक साक्ष्य में निम्नवत् बताया:-

> "यह पेपरलेस मिशन है, इसलिए सब प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आते है और अप्रूव होते चला जाता है। इसे ऑनलाइन करने की वजह से हमने 11 महीने में हमने 1.29 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें प्रत्येक शहर की प्रत्येक परियोजना का प्रत्येक विवरण भारत सरकार के पास आ रहा है और वापस जा रहा है। अब तक, हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास केवल 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी जानी शेष है।"

(iv) <u>स्मार्ट सिटी मिशन</u>

43. स्मार्ट सिटीज मिशन का शुभारंभ 25 जून, 2015 को किया गया था। योजना का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और 'स्मार्ट समाधान' के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं। राज्य और केंद्रीय स्तर पर दो चरणों वाली चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है।

44. वर्ष 2015-16 से स्मार्ट सिटी मिशन पर बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नवत् है:-

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2015-16	2020.00	1496.20	1483.71
2016-17	3215.50	4675.99	4412.29
2017-18	4000.00	4000.00	4526.42
2018-19	6169.00	6169.00	5935.59
2019-20	6450.00	3450.00	3355.69
2020-21	6450.00	3400.00	3195.48
2021-22	6450.00	6600.00	6599.97
2022-23*	**6800.00**	8800.00	7195.16*
2023-24	**8000.00**		

दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार

45. मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय आबंटन के संबंध में यह बताया गया है कि मिशन को दी जाने वाली समग्र वित्तीय सहायता अर्थात् 48,000 करोड़ रुपये में से स्मार्ट सिटी मिशन ने पहले ही 36,561 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं, जिसमें से 33,012 करोड़ रुपये (कुल जारी राशि का 90%) का उपयोग स्मार्ट शहरों द्वारा किया जा चुका है।

46. 100 स्मार्ट शहरों द्वारा शुरू की गई 2,05,018 करोड़ रुपये की कुल परियोजनाओं के संबंध में, 100 स्मार्ट शहरों द्वारा 1,81,349 करोड़ रुपये की 7821 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कुल परियोजनाओं में से 1,00,450 करोड़ रुपये की 5343 परियोजनाएं दिनांक 15 फरवरी 2023 तक पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

47. स्मार्ट सिटी मिशन की राज्य-वार वित्तीय और वास्तविक प्रगति **अनुबंध -चार** में दी गई है। यह देखा जा सकता है कि अभी भी बड़ी संख्या में शहरों को उनके द्वारा नियोजित परियोजना को पूरा करना शेष है।

48. मंत्रालय ने बताया है कि व्यापक रैंकिंग तंत्र के अनुसार, जो न केवल वास्तविक प्रगति बल्कि वित्तीय प्रगति, अनुपालन आदि को भी ध्यान में रखता है, नीचे से 10 शहर हैं: ग्रेटर वारंगल, आइजोल, गुवाहाटी, अमरावती, दीव, इम्फाल, पोर्ट ब्लेयर, शिलांग, पुडुचेरी और कावारत्ती।

49. जहां तक परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा न किए जाने के कारणों और इन परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि का संबंध है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

> "पिछले 12 महीनों में 39,085 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इस त्वरित परियोजना का पूरा होना उल्लेखनीय है, क्योंकि शहर वास्तविक स्तर पर कई चुनौतियों के बावजूद इसे हासिल कर पाए हैं, जिनमें कोविड-19 महामारी परिदृश्य, राजनीतिक और क्षेत्रीय पहलू, भूमि, श्रम आदि से संबंधित स्थानीय चुनौतियां शामिल हैं। इसके अलावा, अधिकांश शहर/यूएलबी पहली बार इस तरह (जैसे – आईसीसीसी, स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट जल और ऊर्जा परियोजनाओं आदि जैसी प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ) की बहु- क्षेत्रीय शहरी परियोजनाओं का विकास कर रहे हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, स्मार्ट सिटीज मिशन की मिशन अवधि को जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है और सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की उम्मीद है।"

50. मिशन की धीमी प्रगति के संबंध में, साक्ष्य के दौरान सचिव ने निम्नवत् बताया:-

> "सर, एक चैलेंज जिसके बारे में आप ने बताया है कि 25 शहरों में, जिनमें प्रगति कम है। हमने मिशन कम्पलीट करने के लिए 30 जून, 2023 को लास्ट डेट तय किया हुआ है। अब इनसे डिमांड आ रही है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। यह एक विषय है, जिस पर हमें डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर के साथ चर्चा करनी है कि अगर हम इसे आगे बढ़ाते जायेंगे, तो जाहिर है कि यह धीरे-धीरे चलता रहेगा। यदि इसे बंद कर देते है, तो वे प्रोजेक्ट्स आधे पड़े रहेंगे। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपना फण्ड दे देगी, वहां तो ये प्रोजेक्ट्स कम्पलीट हो जायेंगे, नहीं तो इन्कम्प्लीट रहेंगे। अतः यह एक ओपन इशू है, जो हमारे सामने है।"

(v) <u>स्वच्छ भारत मिशन-एसबीएम (यू) और एसबीएम 2.0</u>

51. भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) शुरू किया, जिसमें 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों को एसबीएम (यू) के अंतर्गत माना गया है। एसबीएम (यू) को वर्ष 2014-2021 के दौरान कार्यान्वित किया गया था। मंत्रालय ने मौखिक साक्ष्य के दौरान जानकारी दी कि एसबीएम (यू) के लिए बजट आबंटन 62009 करोड़ रुपये था, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 14623 करोड़ रुपये था। आईएचएचटी, सीटी/पीटी के संबंध में लक्ष्यों से अधिक प्राप्त कर लिया गया था। तथापि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में, परियोजनाएं अभी भी कार्यान्वयनाधीन हैं और इनके दिसम्बर, 2023 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इस प्रकार,

2472 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 6136 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय एसबीएम 2.0 के अंतर्गत रखा गया है। एसबीएम (यू) 2.0 को 1,41,600/- करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 01.10.2021 को शुरू किया गया था, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 36,465/- करोड़ रुपये था।

52. वर्ष 2020-21 से बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण निम्नवत् है :

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
2020-21	2300.00	1000.82	1000.22
2021-22	2300.00	2000.00	1969.20
2022-2023 (आज तक)	2300.00	2000.00	937.98 (दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार)
2023-24	5000.00		

53. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय अंतिम 02 माह में शेष 53.11% व्यय कर पाएगा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

> "10,364.21 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव पहले से ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी करने के लिए विचाराधीन हैं, बशर्ते कि उपर्युक्त पैरा (i) में दी गई शर्तों का पालन किया जाए। इस प्रकार एसबीएम प्रभाग वित्तीय वर्ष के अंत तक 2000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होगा, यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से केंद्रीय हिस्से (सीएस) को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय की संशोधित प्रक्रिया के अनुदेशों का अनुपालन करने में सक्षम हों।"

54. पिछले वर्षों के व्यय पैटर्न की तुलना में मांगी गई निधियों में अचानक वृद्धि के कारणों के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्षों के व्यय पैटर्न की तुलना में मांगी गई निधियों में वृद्धि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित है कि 10364.21 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और जारी करने के लिए विचाराधीन हैं और यह अनुमान है कि 2023-24 के दौरान 5000 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी।

55. एसबीएम-यू 2.0 की राज्य-वार वित्तीय प्रगति अनुबंध-पाँच में रखी गई है।

56. एसबीएम-यू 2.0 की वास्तविक प्रगति के संबंध में, मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को हाल ही में निधियां जारी की गई हैं और अतः वास्तविक भौतिक प्रगति की सूचना कुछ समय पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद दी जाएगी।

एसबीएम (यू) के अंतर्गत कोई वार्षिक योजना या भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का न होना

57. अपने लिखित उत्तरों में मंत्रालय ने बताया है कि एसबीएम (यू) के अंतर्गत, कोई वार्षिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य नहीं हैं और इसलिए वार्षिक लक्ष्यों - भौतिक और वित्तीय एवं भिन्नताओं या कारणों के बीच सह-संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त, पांच वर्ष की मिशन अवधि के लिए कार्यान्वित एसबीएम (यू) के अंतर्गत पूरी अवधि के लिए तदनुसार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

58. यह पूछे जाने पर कि एसबीएम (यू) के अंतर्गत कोई वार्षिक भौतिक या वित्तीय लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित किया गया है और वार्षिक लक्ष्यों के बिना मिशन के निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

> "एसबीएम-यू 2.0 की मिशन अवधि 5 वर्ष है, अर्थात 01.10.2021 से 01.10.2026 तक। एसबीएम-यू 20 के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में मिशन अवधि के आधार पर सीएस निधियों का आबंटन निर्धारित किया गया है न कि वार्षिक आधार पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार मिशन के दौरान किसी भी समय सीएस निधि (मिशन अवधि के लिए उन्हें किए गए आबंटन से) की कितनी भी राशि और जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को शुरू करने और निष्पादित करने के लिए अपनी प्रशासनिक तत्परता की स्थिति के अनुसार इन्हें प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। शहर कार्य योजनाएं तैयार करते हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रीय सलाहकार और समीक्षा समिति (एनएआरसी) के अनुमोदन के लिए रखा जाता है। तथापि, आउटपुट और आउटकम लक्ष्य पूरे मिशन अवधि के लिए बाद वार्षिक लक्ष्यों के साथ निर्धारित किए जाते हैं।"

सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) और क्षमता निर्माण (सीबी)

59. एसबीएम (यू) के अंतर्गत, स्वच्छता और सैनिटेशन के महत्व को फैलाने के लिए व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता फैलाना और यूएलबी के लिए क्षमता में वृद्धि महत्वपूर्ण घटक हैं। तथापि, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अधिकांश राज्यों में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पर व्यय लगभग 'शून्य' है। क्षमता निर्माण (सीबी) के संबंध में भी व्यय न्यूनतम है। इन

घटकों के अंतर्गत एसबीएम (यू) और एसबीएम 2.0 के अंतर्गत जारी की गई निधियों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि एसबीएम (यू) के अंतर्गत आईईसी और सीबी घटक के अंतर्गत क्रमशः 1010.67 करोड़ रुपये और 277.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। तथापि, एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत आईईसी और सीबी घटक के अंतर्गत अब तक क्रमश 141.17 करोड़ रुपए और 123.88 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

60. पिछले दो वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में एसबीएम-यू 2.0 में आईईसी और सीबी घटकों के अंतर्गत आबंटित कुल धनराशि और वास्तविक व्यय निम्नवत् हैं:

घटक	**मिशन आबंटन**	**वि.व. 2021-22**	**वि.व. 2022-23**	**कुल**
आईईसी	3630.50 करोड़	123.19 करोड़	20.30 करोड़	143.49 करोड़
सीबी	2118.20 करोड़	120.00 करोड़	24.21 करोड़	144.21 करोड़

61. व्यवहार में परिवर्तन और मिशन की संपोषणीयता को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की कि आईईसी और सीबी घटकों के तहत व्यय बढ़ाने की आवश्यकता से पूरी तरह सहमत है क्योंकि मिशन को कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक हितधारक की भागीदारी और सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिक तीव्र और केंद्रित ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक शौचालयों (पीटी)/सामुदायिक शौचालयों (सीटी) का प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम)

62. मिशन की संपोषणीयता के लिए सार्वजनिक शौचालयों/सामुदायिक शौचालयों का प्रचालन और अनुरक्षण आवश्यक है। इस संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि इन परिसंपत्तियों का प्रचालन और अनुरक्षण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जो इसे अपनी निधियों के माध्यम से निष्पादित करती है और उन्हें सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कोई भी मॉडल प्रचालित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसमें प्रयोक्ता प्रभार लगाना भी शामिल है। तथापि, एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कतिपय प्रवेश स्तर की शर्तों के अनुपालन को पूरा करना होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न घटकों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के दावे के लिए पात्र होने हेतु सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा प्रयोक्ता प्रभार लगाना भी शामिल है। तथापि, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयोक्ता प्रभार लगाने के लिए दो वर्ष की छूट अवधि (एसबीएम-यू 2.0 मिशन के प्रथम दो वर्ष) दी गई है। मंत्रालय तृतीय पक्ष प्रमाणन के

अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता ऐप जैसे कदमों के माध्यम से ओ एंड एम की सुविधा प्रदान करता है जो नागरिकों को सार्वजनिक शौचालयों से संबंधित शिकायतों सहित स्वच्छता संबंधी शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम बनाता है, गूगल मानचित्र पर सभी सीटी/ पीटी का मानचित्रण करता है और सार्वजनिक शौचालयों पर फीडबैक और की रेटिंग सुविधाएं प्रदान करता है।

<u>स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने में एसबीएम (यू) के अंतर्गत इंदौर को एक मॉडल शहर के रूप में प्रोत्साहित करना</u>

63. समिति के इंदौर के अध्ययन दौरे के दौरान, समिति को बताया गया कि स्वच्छता अभियान (क्लीनलिनेस ड्राइव) में लोगों की भागीदारी 'सबसे स्वच्छ शहर' का दर्जा प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह भी बताया गया कि मिशन की शुरुआत के बाद से, शहर ने 01 वर्ष की अवधि के दौरान एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित किया और होर्डिंग, बिलबोर्ड, स्थानीय रेडियो, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में निरंतर घोषणाओं आदि के माध्यम से विषय पर बल दिया गया, जिससे इंदौर निवासियों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके। फलस्वरूप, पूरा इंदौर शहर कचरे को स्रोत पर छह तरह से अलग करने का कार्य कर रहा है, जो न केवल कचरे की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि इसके प्रसंस्करण के बाद उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। कचरे का कुशल पृथक्करण भी प्रसंस्करण को तीव्र और आसान बनाता है।

64. समिति ने सूखे कचरे के पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जा रहे ट्रेंचिंग ग्राउंड और बायो-रेमेडिएशन पार्क का भी निरीक्षण किया, जिसे लैंडफिल साइट को साफ करने के बाद विकसित किया गया है और इस प्रक्रिया में लगभग 100 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है जिसे अब उद्यान और 'सिटी फॉरेस्ट' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

(vi) <u>प्रधानमंत्री स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)</u>

65. प्रधान मंत्री स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को स्ट्रीट विक्रेताओं को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए 1 वर्ष की अवधि के 10,000 रुपये तक संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना ने 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित किया है और दूसरी और तीसरी किश्त में क्रमश 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के ऋणों की उच्च किश्त उपलब्ध कराई है। यह प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक नकद वापसी के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को भी पुरस्कृत करता है और स्ट्रीट विक्रेताओं के परिवारों को केंद्र सरकार की चुनिंदा सामाजिक-आर्थिक कल्याण योजनाओं से जोड़कर एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

i. 1 वर्ष की अवधि के 10,000 रुपये तक संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना

ii. 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और दूसरी और तीसरी किश्त में क्रमशः 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के ऋणों की उच्च किश्त उपलब्ध कराना।

iii. प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक नकद वापसी के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।

iv. स्ट्रीट विक्रेता के परिवारों को केंद्र सरकार की चुनिंदा सामाजिक-आर्थिक कल्याण योजनाओं से जोड़कर उनके लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना।

66. प्रारंभ में यह योजना मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इस समिति ने पीएम स्वनिधि पर अपने दसवें प्रतिवेदन में मंत्रालय को मार्च, 2022 से आगे इस योजना का विस्तार करने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 27.04.2022 को आयोजित अपनी बैठक में 2096.49 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पीएम स्वनिधि योजना को वर्ष 2027-28 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

67. वित्त मंत्रालय और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के आंकड़े निम्नवत् हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आबंटन**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
1	2020-21	-	-	113.79	113.67
2	2021-22	312.00	200.00	299.00	297.819
3	2022-23	470.93	150.00	433.94	162.08*
4	2023-24	468.00	468.00	-	

दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार

68. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय दो माह से भी कम समय में आबंटित धन का शेष 62.65% खर्च कर पाएगा और क्या अंतिम दो माह में लगभग 70% धन व्यय करना वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

> "पीएमस्वनिधि की अवधि शुरू में मार्च, 2022 तक थी और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित बजट केवल 150 करोड़ रुपये था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 27.04.2022 को हुई अपनी बैठक में 2187.49 करोड़ रुपये के कुल

परिव्यय के साथ पीएम स्वनिधि योजना को मार्च, 2022 से आगे और वर्ष 2027-28 तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 507.93 करोड़ रुपये शामिल हैं। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान के अंतर्गत 433.94 करोड़ रुपये दिसंबर, 2022 के अंत में ही उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद, मंत्रालय संशोधित अनुमान के अनुसार निधियों का उपयोग करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। दिनांक 01.02.2023 तक, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 242.08 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और लगभग 143 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। कुल मिलाकर लगभग 385 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान का 88%) अगले कुछ दिनों में उपयोग किए जाएंगे। यह भी आशा की जाती है कि शेष राशि का उपयोग भी इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।"

69. संवितरित ऋणों की संख्या के मामले में ,लक्ष्य और उपलब्धि के संबंध में, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया-

संसूचक	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
	लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
संवितरित ऋणों की संख्या	20 लाख	20 लाख	12 लाख	10.66 लाख	15 लाख	7.28 लाख	8 लाख	-

70. मंत्रालय से लक्ष्यों में कमी किए जाने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए उन्होंने निम्नवत् बताया - :

"सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार दिसंबर 2024 तक पहले, दूसरे और तीसरे ऋण के लिए ऋण संवितरण का लक्ष्य क्रमशः 42 लाख, 12 लाख और 3 लाख है इस प्रकार, दिसंबर 2024 तक संवितरित किए जाने वाले कुल ऋण 57 लाख हैं, जिनमें से 41.4 लाख ऋण पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं। शेष ऋणों में से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 लाख का लक्ष्य रखा गया है, जो उचित प्रतीत होता है।"

71. प्रथम ऋण की तुलना में द्वितीय ऋण के लिए आवेदनों की कम संख्या के कारणों के संबंध में, मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया:

> "महोदय, प्रथम ऋण और द्वितीय ऋण का उल्लेख किया गया था। कोई भी स्ट्रीट विक्रेता द्वितीय ऋण के लिए पात्र हो जाता है जब वह प्रथम ऋण का भुगतान कर देता है। यही कारण है कि द्वितीय ऋण के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या थोड़ी कम, अर्थात् 14 लाख के लगभग, है। लेकिन दवितीय ऋण केवल तभी दिया जाता है जब हम उसे एक योग्य लाभार्थी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। वह ऋण तभी लेता है जब वह इसे लेने के लिए इच्छुक हो। कई लाभार्थियों ने दवितीय ऋण नहीं लिया है। वास्तव में, हमने पाया है कि कई लाभार्थी प्रथम ऋण भी नहीं लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग में लोगों की रुचि अधिक है।"

72. जहां तक 1 लाख रुपये के ऋण की चौथी किश्त के उपबंध का संबंध है, सचिव ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया:

> "जैसा कि मैंने कहा, हम बैंकों और डीएफएस से बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, बढ़ी हुई निधि की आवश्यकता क्या है, और इसे कैसे पूरा किया जाए।"

(vii) <u>दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई - एनयूएलएम)</u>

73. "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)" के पुनर्गठन द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2013 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का विस्तार अब देश के सभी सांविधिक कस्बों तक कर दिया गया है, जिसका निर्णय राज्यों द्वारा स्थानीय क्षमता और आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और इस योजना का नाम बदलकर 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' (डीएवाई-एनयूएलएम) कर दिया गया है ताकि शहरी गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कुशल पारिश्रमिक रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को कम किया जा सके। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों के सुदृढ़ जमीनी स्तर के संस्थानों का निर्माण करना, बेघर पुरुषों और महिलाओं के लिए स्थायी आश्रय प्रदान करना और शहरी स्ट्रीट विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करना है।

74. वित्त मंत्रालय द्वारा मिशन को दिनांक 31 मार्च, 2023 तक अंतरिम विस्तार प्रदान किया गया है। मंत्रालय मिशन की अवधि को मार्च, 2023 से आगे बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

75. मिशन के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय निम्नवत् है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आबंटन	बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय	उपयोग का प्रतिशत
1	2018-19	850.00	310.00	510.00	498.15	97.67%
2	2019-20	1000.00	750.00	750.00	732.06	97.61%
3	2020-21	1250.00	795.00	795.00	818.43	100%
4	2021-22	1400.00	795.00	795.00	794.19	99.90%
5	2022-23	1400.00	900.00	550.00	116.66*	21.21%
6	2023-24	1350.00	0.01	-	-	-

(* दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनूसार)

76. चूंकि मिशन को अभी तक 31 मार्च, 2023 के बाद के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मिशन हेतु केवल टोकन राशि (1 लाख रुपये) आबंटित की गई है। संशोधित अनुमान (आरई)

77. वर्ष 2018-19 से योजना के संचयी लक्ष्यों और उपलब्धि के संबंध में, मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विवरण निम्नवत् हैं:

सूचक	**वर्ष 2018-19 से 2022-23 (31.12.2022) तक की संचयी स्थिति**		
	लक्ष्य	**प्रगति**	**अंतर**
सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	2,30,000	5,16,242	**उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है।**
एसएचजी-बैंक लिंकेज के तहत एसएचजी को दिए गए ऋण की संख्या	1,90,000	7,20,404	**उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है।**
गठित एसएचजी की संख्या	3,30,000	4,64,911	**उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है।**

रिवॉल्विंग फंड सहायता प्रदान करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	2,46,000	3,63,079	**उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है।**
कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	11,73,400	7,70,272	**4,03,128**
कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा चुके व्यक्तियों की संख्या	5,39,190	3,89,929	**1,49,261**

78. निर्माण क्षेत्र में तीव्र विकास और कौशल से जुड़ी उत्पादकता वृद्धि एवं आय वृद्धि की बढ़ती आवश्यकता के कारण, डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत एक अभिनव और विशेष परियोजना (आई एंड एसपी परियोजना), जिसका नाम 'निर्माण श्रमिकों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय पहल' (निपुण) है, आवासन और शहरी कार्य के माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 20.06.2022 से अभिनव कौशल के माध्यम से एक लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने और निर्माण क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह परियोजना निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर असंगठित श्रम बल के लिए एक पथ-प्रदर्शक कौशल पहल है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को निपुण के सभी तीन विधाओं/घटकों अर्थात् रिकॉग्निशन टू प्रायर लर्निंग (आरपीएल), फ्रेश स्किलिंग और इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए 'कार्यान्वयन भागीदार' के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। परियोजना में, जल प्रबंधन और नलसाजी कौशल परिषद (डब्ल्यूएमएससी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्किल काउंसिल (आईईएससी) आदि जैसे सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) के अलावा नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) जैसे प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन को शामिल किया गया है।

पाँच <u>अन्य कार्यक्रम/परियोजनाएं/मामले</u>

(i) <u>जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) क्षेत्र विकास योजना</u>

79. पूर्व के पीएचई प्रशिक्षण कार्यक्रम को दिसंबर 2020 में एक समर्पित बजट शीर्ष अर्थात् मुख्य शीर्ष - 2217, 05.191 - स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता- के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में परिवर्तित किया गया था।

80. पूर्व के पीएचई प्रशिक्षण कार्यक्रम को दिसंबर 2020 में एक समर्पित बजट शीर्ष अर्थात् मुख्य शीर्ष - 2217, 05.191 - स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता- के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में परिवर्तित किया गया था।

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**	**उपयोग का प्रतिशत**
2021-22	2.00	2.00	1.66	83
2022-23	2.00	2.00	0	0
2023-24	2.00	2.00	-	-

81. योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

> "योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सेवारत अभियंताओं के नामनिर्देशन हेतु संबंधितों के साथ किए गए विभिन्न पत्राचार किए गए। उद्देश्य शीर्ष जीआईए (19.01.31) के अंतर्गत अपेक्षित प्रमुख निधि विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों और सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थानों से पीएचई प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए प्राप्त नाम-निर्देशनों पर निर्भर करती है।"

82. इसके अलावा, पीएचई क्षेत्र विकास योजना में सीपीएचईईओ द्वारा संचालित पीएचई प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, क्षमता निर्माण और परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन आदि शामिल हैं। वर्ष 2021-22 में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से अनुप्रयुक्त अनुसंधान किया जाता है।

83. योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशिक्षण प्रदान करने में सीपीएचईईओ की भूमिका संबंधी चुनौतियों के संबंध में, मंत्रालय ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया:

> "सीपीएचओ का स्टेटस ट्रेनिंग देने का है, दूसरा सीपीएचओ के आलावा इंजीनियरिंग कॉलेजेज और आईआईटीस बगैरह में भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में काफी एक्सपर्टीज है । उससे भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है । फर्स्ट स्कीम के फंड्स भी यूज़ कर रहे है । आपकी बात बिलकुल सही है बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है । टेक्निकल एक्सपर्टीज, सच बात तो है कि जब बात करते है, तो लोगो को बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं होते है इवन इंजीनियरस बगैरह है सबको क्लैरिटी नहीं होती है।"

(ii) विभिन्न योजनाओं और मिशनों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा विकसित विभिन्न निष्पादन ट्रैकिंग डैशबोर्ड

84. मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/मिशनों की जांच के दौरान, समिति के संज्ञान में लाया गया था कि पीएमएवाई (यू), एसबीएम (यू), अमृत आदि जैसी विभिन्न योजनाओं की बेहतर निगरानी के लिए मंत्रालय ने सभी हितधारकों के परामर्श से परियोजनाओं की प्रगति, जारी की गई निधियां, लंबित उपयोग, परियोजना की समय-सीमा, निष्पादन के विभिन्न चरणों का आरेखीय दृश्य आदि से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना के साथ निष्पादन ट्रैकिंग डैशबोर्ड शुरू किए हैं। इसमें परियोजना की समय सीमा, स्वीकृति आदेश, यूसी आदि जैसी जानकारी भी होगी। उपर्युक्त डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं क्योंकि महत्वपूर्ण और समय पर जानकारी प्रदान करना किसी भी योजना के सफल कार्यान्वयन में एक साधन है, विशेषतः जब परियोजना अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व की हो और जो बड़े पैमाने पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करती हो।

***

भाग-दो
टिप्पणियां/सिफारिशें

सिफारिश संख्या 1

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बजटीय आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता

समिति इस बात की सराहना करती है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) गत दो वित्त वर्षों अर्थात 2020-21 और 2021-2022 के दौरान, आवंटित निधि का 99 प्रतिशत से अधिक उपयोग कर पाया है। हालांकि, समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि सरकार के कुल व्यय बजट में भले ही 5.5 लाख करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है, मंत्रालय को किए जाने वाले आवंटन को 2022-23 में घटाकर 76,549.46 करोड़ रुपये (कुल व्यय बजट का 1.94%) और 2023-24 में घटाकर इसे 76,431.60 करोड़ रुपये (कुल व्यय बजट का 1.70%) कर दिया गया है। समिति आगे नोट करती है कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में मंत्रालय के आवंटन का प्रतिशत हिस्सा भी क्रमशः वित्त वर्ष 2022-23 में 10.23% से कम करके वित्त वर्ष 2023-24 में 9.68% और वित्त वर्ष 2022-23 में 2.33% से घटाकर 1.80% कर दिया गया है।

समिति का यह मत है कि मंत्रालय के लिए इस तरह का घटा हुआ आवंटन तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरी भारत–जिसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से भी अधिक योगदान होने का अनुमान है और जिनकी आबादी 2011 में 37.71 करोड़ से 2030 तक 55 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, की बढ़ती आकांक्षाओं के विपरीत है।

समिति महसूस करती है कि शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और अपने शहरों में मानव पूंजी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है तथा मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं/मिशन इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में योगदान दे रहे हैं। समिति का विचार है कि मंत्रालय के लिए बजटीय सहायता सौंपी गई जिसे व्यापक शहरीकरण की जिम्मेदारी के अनुरूप करने की आवश्यकता है। इसलिए समिति मंत्रालय से यह सिफारिश करती है कि वह इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाए और हमारे शहरों को टिकाऊ, सुरक्षित, लचीला और समावेशी बनाने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के वित्तपोषण के लिए मंत्रालय के बजटीय आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दे।

सिफारिश संख्या 2

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग

समिति ने पाया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जनवरी, 2023 तक कुछ प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग बहुत कम हुआ है। 02 महीने से कम की अवधि के भीतर शेष राशि के

उपयोग के बारे में समिति की आशंका के उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि उन्हें आशा है कि वे संशोधित अनुमान (सं.अ.) में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई लगभग पूरी निधि को व्यय कर लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि जनवरी, 2023 तक निधियों के कम उपयोग के कारणों में से एक सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से केंद्रीय शेयर (सीएस) के प्रवाह हेतु वित्त मंत्रालय की संशोधित प्रक्रिया का लागू होना था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी प्रणाली को नई संशोधित प्रणाली की जरूरी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना पड़ा था। अधिकांश राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे और अधिकांश राज्यों ने अनुपालन के लिए समय लिया। वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) के अनुदेशों के अनिवार्य अनुपालन के अभाव में, केन्द्रीय हिस्से की निधियां जारी नहीं जा सकीं, यद्यपि वित्त प्रभाग इन निधियों के लिए सहमत था। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पहले ही से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होने और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के कारण, केन्द्रीय हिस्से की निधि कम मात्रा में जारी की गई।

समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत योजना-वार उपयोग विवरण से यह देखा कि 01.02.2023 की स्थितिनुसार, कुछ योजनाओं/मिशन ने 70% से अधिक आवंटन का उपयोग किया गया है यथा पीएमएवाई-74.35%, अमृत-84.85%, एमटीआरएस और मेट्रो प्रोजेक्ट्स-87.64%, जबकि, यह अन्य में सं.अ. के 50% से कम है यथा स्वच्छ भारत मिशन-46.90%, डीएवाई-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-21.21%, पीएम स्वनिधि मिशन-37.35%। अत: समिति मंत्रालय की बात से सहमत नहीं है।

समिति का यह मत है कि सारे व्यय, वित्तीय वर्ष के अंत में करना वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विरुद्ध है और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। पूरे वित्त वर्ष में निधियों के समान उपयोग के वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित निधियों के अधिशेष का उपयोग करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

सिफारिश संख्या 3

योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई (यू)] के अंतर्गत आवंटित धन के उपयोग में वित्तीय विवेक का इस्तेमाल करना

2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) 8.31 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ शुरू की गई थी, जिसके समग्र व्यय में केंद्रीय सहायता 24%, अर्थात 2.03 लाख करोड़ रुपये तक सीमित है। वर्ष 2022-23 में, इस योजना के अंतर्गत उच्चतम बजटीय आवंटन हुआ, जो कुल बजटीय आवंटन का 36.6% अर्थात 28,000/- करोड़ रुपये था और बाद में इसे संशोधित अनुमान चरण में बढ़ाकर 28,708.01 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति को यह अवगत कराया गया कि ब्याज सब्सिडी जारी करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2022-23 के संशोधित अनुमान में

बजट अनुमान आवंटन के अतिरिक्त 5,500.00 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, योजना को 2022-23 के संशोधित अनुमान में 708.00 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले और अधिशेष राशि को स्कीम के अन्य शीर्षों से पुनर्विनियोजित किया जाएगा। 01.02.2023 की स्थितिनुसार योजना के अंतर्गत व्यय; आवंटित निधि का 74.35% है।

आगामी वित्तीय वर्ष में भी, पीएमएवाई (यू) के लिए प्रस्तावित बजटीय आवंटन उच्चतम अर्थात कुल बजट अनुमान का 33% है। मंत्रालय के अनुसार, 2.03 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत की गई केंद्रीय सहायता में से 15.02.2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएनए को कुल 1.39 लाख करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जो चालू वित्त वर्ष के अंत तक 1.44 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन को जोड़ने के बाद, योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की कुल राशि 1.68 लाख करोड़ रुपये होगी। समिति को यह भी बताया कि केंद्रीय सहायता समय पर जारी करने के क्रम में, सभी अनुपालनों को शीघ्र पूरा करने और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जा रही प्रगति को देखते हुए, मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रहा है। मांग के बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में ही समुचित स्तर पर अतिरिक्त धन की मांग करने की उम्मीद है।

समिति को आशंका है कि 1.23 लाख घरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 में योजना की अधिशेष राशि अर्थात 35,000 करोड़ रुपये (लगभग) का वह भी 31 दिसंबर, 2024 तक उपयोग करना, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। समिति महसूस करती है कि चूंकि यह एक मांग संचालित योजना है, इसलिए निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से औपचारिकताओं को जल्दी पूरा करने के लिए मंत्रालय को मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है और इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय इस दिशा में तत्काल कदम उठाए। समिति आशा करती है कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को चैनलाइज करने के बाद, मंत्रालय वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन का उपयोग कर पाएगा और 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने योग्य बनाने के क्रम में, संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त धनराशि की मांग कर सकता है।

सिफारिश संख्या 4

मेट्रो कॉर्पोरेशन में पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया

समिति ने मंत्रालय द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों से यह देखा है कि विशेषकर पटना, सूरत, आगरा, भोपाल और इंदौर में कुछ मेट्रो परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति बहुत धीमी है। समिति स्वीकार करती है कि मेट्रो एक जटिल विषय है और मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति भूमि अधिग्रहण, बाहरी एजेंसियों के साथ वित्तीय टाई-अप्स को अंतिम रूप देने, सांविधिक स्वीकृतियां आदि

जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए, समिति की राय है कि भूमिका इन जटिल मुद्दों को समझने, हल करने, इस पर बातचीत करने, सुविधा प्रदान करने और निगरानी करने के लिए विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में नेतृत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि, समिति को यह यह नोट करके आश्चर्य हुआ कि कुछ मेट्रो निगम/परियोजनाएं, अर्थात् गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) लिमिटेड, मुंबई मेट्रो लाइन 3, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, पटना मेट्रो रेल परियोजना, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिना किसी पूर्णकालिक/समर्पित प्रबंध निदेशक के संचालन कर रही हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सभी मेट्रो निगमों/परियोजनाओं में पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए और यह मामला शीघ्रतिशीघ्र विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सतत और निरंतर फोकस सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मेट्रो निगमों/परियोजनाओं के प्रबंध निदेशक के बार-बार स्थानांतरण से भी बचा जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 5

शहरी परिवहन योजना एवं क्षमता निर्माण योजना

परिवहन और यातायात संबंधी अध्ययन करने के लिए अगस्त, 2008 में शहरी परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण योजना तैयार की गई थी। समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के अनुरूप, इस योजना का उद्देश्य व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी)/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके /परिवहन अध्ययन करके भूमि और परिवहन के उपयोग के समेकन में व्यापक और समेकित शहरी परिवहन योजना को बढ़ावा देना; बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों को अपनाना; जागरूकता अभियान आदि का शुभारंभ करना है। योजना की वर्तमान अवधि 31.03.2023 तक है।

समिति महसूस करती है कि देश के अधिकांश शहर भीड़भाड़ और यातायात संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए, यह योजना शहरी क्षेत्रों में कुशल, आरामदायक और गतिशीलता बढ़ाने के लिए व्यापक गतिशीलता योजना और एकीकृत शहरी परिवहन आयोजना तैयार करने में अत्यधिक योगदान दे सकती है, जिसका हमारे शहरों की उत्पादकता, संपोषणीयता तथा जीवन क्षमता पर काफी प्रभाव हो सकता है। समिति ने यह भी पाया कि जनसंख्या घनत्व, शहर के क्षेत्रफल और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता के उचित अध्ययन/व्यवहार्यता के बिना मेट्रो परियोजनाओं की घोषणा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों की संख्या कम होती है और ऐसे मूल्यवान संसाधनों का उपयोग कम हो पाता है, जिनका कहीं और अधिक विवेकपूर्ण और उत्पादक रूप से उपयोग किया जा सकता था। इस पृष्ठभूमि में, ऐसी पूंजी गहन

परियोजनाओं को मंजूरी देने में शहरी परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण योजना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

इसलिए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह शहरी परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण योजना के कार्यकाल की समीक्षा करे और इसके कार्यकाल में विस्तार देने पर विचार करे क्योंकि परिवहन और यातायात संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में इसकी क्षमता शहरी नियोजन सुधारों और हमारे शहरों को 'कल के संपोषणीय शहर' बनाने में स्थायी प्रभाव डाल सकती है।

सिफारिश संख्या 6

सम्बद्ध अवसंरचना तथा हरित शहरी परिवहन पहल सहित सिटी बस सेवाओं का विस्तार

बजट भाषण 2021-22 में, वित्त मंत्री ने सार्वजनिक बस परिवहन सेवाएं बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की थी। यह कहा गया था कि यह योजना निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को 20,000 से अधिक बसों के वित्तपोषण, अधिग्रहण, संचालन और रखरखाव में सक्षम बनाने के लिए नवोनमेषी पीपीपी मॉडल के नियोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। घोषणा के बाद से, समिति ने अनुदानों की मांगों (2021-22) पर अपने पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) और अनुदानों की मांगों (2022-23) पर पर अपने बारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अब तक योजना को कार्यान्वित न करने के बारे में पूछा और योजना को मिशन मोड पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्री द्वारा दिए गए अर्धवार्षिक वक्तव्य में, मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित योजना का प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पण, जिसे 17.05.2022 को स्वीकृति हेतु वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, अनुमोदित कर दिया गया है। इस योजना की नवीनतम स्थिति के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पण पर माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन दिनांक 05.12.2022 को प्राप्त कर लिया गया है और विचार करने और अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया गया।

समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि यद्यपि इस योजना की घोषणा के बाद से यह तीसरा वित्त वर्ष है, फिर भी यह स्वीकृति के स्तर पर ही है और वित्त वर्ष 2023-24 के बजटीय आवंटन में भी इस योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: समिति सिफारिश करती है कि योजना के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त होने पर वित्त मंत्रालय से आवश्यक वित्तीय आवंटन की मांग की जाए और शीघ्रातिशीघ्र योजना के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में जानकारी दी जाए।

सिफारिश संख्या 7

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 1.0 के अंतर्गत लंबित/चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना

समिति नोट करती है कि 05 वर्षों अर्थात 2015-16 से 2019-20 तक अमृत 1.0 का वित्तीय परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपये था जिसमें 50,000 करोड़ रुपये (कुल परिव्यय का 50%) की केंद्रीय सहायता शामिल थी। 500 शहरों को कवर करते हुए मिशन की कुल स्वीकृत योजना 77,640 करोड़ रुपये की थी। मिशन को अमृत 2.0 में समाहित किया गया था और चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उसे मार्च, 2023 तक बढ़ाया गया। समिति को यह बताया गया कि शुरू की गई 5,883 परियोजनाओं में से 4,764 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 68,730 करोड़ रुपये के वास्तविक कार्य अर्थात स्वीकृत योजना का 88% कार्य अब तक पूरा हो चुका है। जहां तक निधियों का संबंध है, अमृत 2.0 मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, मार्च 2023 तक अमृत परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि आवंटित की गई है। मंत्रालय द्वारा अमृत 1.0 परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के लिए यह स्पष्टीकरण दिया है कि अमृत के अंतर्गत चल रही परियोजनाएं बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं हैं जिनकी निष्पादन अवधि लंबी होती है और उन्हें पूरा होने में काफी समय लगता है। देरी काफी हद तक कोविड-19 महामारी, संबंधित विभागों से देरी से स्वीकृतियों/एनओसी प्राप्त होने के कारण हुई है। मंत्रालय ने बताया कि चल रही अमृत परियोजनाओं को पूरा होने में 6 महीने से लेकर एक वर्ष तक का समय लगेगा। समिति ने पाया कि अमृत 1.0 मिशन की विस्तारित अवधि पूरी होने के बाद भी, मिशन के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा किया जाना बाकी है। इसके अलावा, मंत्रालय ने अक्टूबर, 2021 में अमृत 2.0 आरंभ की है और निधियां अलग से रखते हुए अमृत 1.0 की लंबित परियोजनाओं को अमृत 2.0 में समाहित कर लिया है। समिति का मत है कि किसी भी परियोजना में समय सीमा तय करने का आधार, उसकी निष्पादन अवधि होती है और इसका अनुमान मंत्रालय के इस उत्तर से लगाया जा सकता है कि परियोजनाओं को मंजूरी देते समय अमृत के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परियोजनाओं में निष्पादन की अवधि को ध्यान में नहीं रखा गया था। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि

(i) मंत्रालय को लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और अमृत 1.0 के अंतर्गत लंबित/चल रही सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए;

(ii) मंत्रालय को उत्तरवर्ती चरण को शुरू करने से पहले किसी भी योजना/मिशन के पहले चरण के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

सिफारिश संख्या 8

अमृत 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समीक्षा करना तथा आने वाले वर्षों में अतिरिक्त बजटीय आवंटन की मांग करना

समिति इस बात की सराहना करती है कि अमृत 2.0 एक पेपरलेस ऑनलाइन मिशन है जिसने परियोजना अनुमोदन की प्रक्रिया में काफी सुधार किया है और अब तक मंत्रालय ने 1.29 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हालांकि, मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि 2787 करोड़ रुपये की लागत वाली केवल 202 परियोजनाओं की नींव रखी गई है और 90 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। जहां तक, वित्तीय प्रगति का संबंध है, 76,760 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता में से अब तक लगभग 5800 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। समिति ने यह भी देखा कि 6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अभी भी राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी) का पहला भाग जमा करने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए, समिति यह महसूस करती है कि इस तथ्य के बावजूद वास्तविक और वित्तीय प्रगति बहुत ही कम है कि मिशन दूसरे चरण में है और विभिन्न हितधारकों अर्थात, राज्यों और यूएलबी योजना के तौर-तरीकों के बारे में अधिक जागरूक होने की पूरी संभावना है। समिति को आशंका है कि इस गति से अमृत के पहले चरण की तरह, मिशन के 05 वर्ष की अवधि के भीतर अनुमानित लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन होगा। समिति यह भी महसूस करती है कि मंत्रालय द्वारा 1,29,000 करोड़ रुपये की 6,527 परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, भविष्य में इस योजना के अंतर्गत निधियों की मांग में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। अत: समिति सिफारिश करती है कि:-

(i) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की लगातार निगरानी और समीक्षा करेगा और स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों/यूएलबी के साथ सहयोजित हो सकता है;

(II) मंत्रालय निधियों की आवश्यकता में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए आने वाले वर्षों में योजना के लिए बढ़े हुए बजटीय आवंटन की मांग कर सकेगा ताकि योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं निधियों की कमी के कारण लंबित न रहें।

सिफारिश संख्या 09

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) की विस्तारित अवधि के भीतर परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना

समिति नोट करती है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयन का अंतिम दौर जनवरी, 2018 में किया गया था और इसलिए 05 साल की निर्धारित अवधि पूरी हो गई है। जहां तक मंत्रालय द्वारा किए गए वित्तीय आबंटन का संबंध है, मिशन को दी गई 48,000 करोड़ रुपये की समग्र वित्तीय सहायता में से 36,561 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और 33,012 करोड़ रुपये (कुल जारी राशि का 90%) 'स्मार्ट सिटी' द्वारा उपयोग किए गए हैं। समिति आगे यह नोट करती है कि मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहरों ने 2,05,018 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। इनमें से 1,81,349 करोड़ रुपये की 7821 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। अब तक 1,00,450 करोड़ रुपये की 5343 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हालाकि, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की शहर-वार वास्तविक प्रगति से यह पता चलता है कि विभिन्न शहरों के कार्य-निष्पादन में बहुत अधिक अंतर है। एक ओर, 32 स्मार्ट शहरों ने एससीएम के तहत कार्यान्वयन के लिए नियोजित परियोजनाओं और कुछ मामलों में वास्तविक लक्ष्य से चार गुना से भी अधिक की संख्या को पूरा कर लिया है दूसरी ओर, शेष 68 स्मार्ट शहरों को अभी भी परियोजना को पूरा करने के लक्ष्यों को पूर्ण करना है, जिसमें कुछ शहरों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक है। इसलिए, पूरी की गई परियोजनाओं की कुल संख्या एक भ्रामक चित्र प्रस्तुत करती है क्योंकि इसमें 32 प्रदर्शन करने वाले स्मार्ट शहरों द्वारा पूरी की गई अतिरिक्त परियोजनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। समिति की राय है कि यदि कुल पूर्ण की गई परियोजनाओं में से 'अतिरिक्त परियोजनाओं' की संख्या को हटा दिया जाता है तो दिनांक 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, मिशन के तहत पूर्ण की गई परियोजनाओं की वास्तविक संख्या अनुमानित संख्या से बहुत कम होगी। तथ्य यह है कि 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, 68 स्मार्ट शहरों ने मिशन के तहत अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है और मंत्रालय ने समिति के समक्ष उल्लेख किया है कि सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की आशा है।

समिति ने कोविड-19 महामारी के परिदृश्य, बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं, भूमि, श्रम आदि से संबंधित स्थानीय चुनौतियों सहित जमीनी स्तर पर अनेक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस बात पर बल दिया है कि

(i) मंत्रालय को पिछड़ते स्मार्ट सिटी के साथ कठोरता से प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों को वास्तव में विस्तारित समय अवधि अर्थात् जून, 2023 के भीतर प्राप्त कर लिया जाए;

(ii) इन परियोजनाओं को पूरा करने में इस प्रकार के अत्यधिक विलंब के कारणों का विस्तृत मूल्यांकन और समाधान किए बिना और समय विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 10

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) [एसबीएम (यू)] के तहत वार्षिक वाताविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना

समिति को अवगत कराया गया है कि इस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत किसी वार्षिक योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। एसबीएम (यू) 1.0 के तहत, कुल मिशन आवंटन 14,62273 करोड़ रुपये था। दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 को आरंभ किए गए एसबीएम (यू) 2.0 के तहत, मिशन अवधि 2021-2026 के लिए 36,465 करोड़ रुपये का मिशन आवंटन उपलब्ध कराया गया था। मिशन को पांच वर्ष की मिशन अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाता है, तदनुसार, वास्तविक लक्ष्यों को संपूर्ण अवधि के लिए निर्धारित किया गया था। कोई वार्षिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य नहीं हैं और इसलिए वार्षिक लक्ष्यों के बीच सह-संबंध-भौतिक और वित्तीय तथा भिन्नताएं अथवा कारण का प्रश्न ही नहीं उठता है । मंत्रालय के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मिशन की अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय केन्द्रीय क्षेत्र की निधि (मिशन अवधि के लिए उन्हें किए गए आबंटन में से) और जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को आरंभ करने और निष्पादित करने के लिए प्रशासनिक रूप से उनकी तैयारी की स्थिति के आधार पर कितनी भी राशि की प्रमात्रा का आहरण करने हेतु स्वतंत्र हैं। शहर, कार्य योजनाएं तैयार करते हैं, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाया जाता है और उसके बाद, राष्ट्रीय सलाहकार और समीक्षा समिति (एनएआरसी) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, आउटपुट और परिणाम लक्ष्य, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए बाद के वार्षिक लक्ष्यों के साथ निर्धारित किए जाते हैं।

समिति, मंत्रालय द्वारा अग्रेषित तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि मंत्रालय के अन्य मिशन नामत: स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत अथवा पीएम स्वनिधि के अंतर्गत मिशन को आरंभ किए जाने के समय कुल परिव्यय और प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता के संबंध में निर्णय लिया जाता है, लेकिन फिर मिशन की निगरानी और उचित कार्यान्वयन के लिए वार्षिक वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने लिए प्रयास किए जाते हैं। समिति का मत है कि वार्षिक वाताविक और वित्तीय लक्ष्यों के अभाव में मिशन की अवधि समाप्त होने तक कोई जवाबदेही नहीं रह जाती है। समिति का मत है कि वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर एक यथार्थवादी बजटीय आवंटन प्राप्त किया जा सकता है, और इसलिए, सिफारिश की जाती है कि एसबीएम (यू) 2.0 के तहत मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 से आगे वित्तीय और भौतिक, दोनों लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

सिफारिश संख्या 11

एसबीएम (यू) के सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) और क्षमता अभिवृद्धि (सीबी) शीर्षों के अंतर्गत आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता

समिति समझती है कि एसबीएम (यू) के तहत, स्वच्छता और साफ-सफाई के महत्व का प्रसार करने के लिए, व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता का प्रसार करने और यूएलबी हेतु क्षमता में वृद्धि करना महत्वपूर्ण घटक हैं। तथापि, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अधिकांश राज्यों में

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पर व्यय लगभग 'शून्य' रहा है। जहां तक क्षमता अभिवृद्धि (सीबी) का संबंध है, व्यय भी न्यूनतम है। इन घटकों के अंतर्गत जारी निधियों के बारे में मंत्रालय ने यह उल्लेख किया है कि अब तक, एसबीएम (यू) के अंतर्गत आईईसी के लिए 1010.67 करोड़ रुपए, सीबी के लिए 277.59 करोड़ रुपए और एसबीएम 2.0 के अंतर्गत, आईईसी के लिए 141.17 करोड़ रुपए और सीबी के लिए 123.88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

समिति यह महसूस करती है कि स्वच्छता एक संकल्पना है जिसका सभी हितधारकों द्वारा संपूर्ण वर्ष, सतत् रूप से और लगातार पालन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, साफ-सफाई और 'सुरक्षित स्वच्छता' के महत्व और उनके लाभों का प्रसार करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता और लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण घटक है। समिति, इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय ने इस मिशन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता से संबंधित कुछ 'एप्लिकेशन' और 'पोर्टल' आरंभ किए हैं। साथ ही, समिति का विचार है कि जब तक आम जनता को इन 'एप्लिकेशन'/'पोर्टल' के उपयोग के बारे में बताया और जागरूक नहीं किया जाता है, तब तक वांछित परिणाम प्राप्त करना मुश्किल होगा और इस उद्देश्य के लिए, संपूर्ण वर्ष आईईसी और सीबी क्रियाकलापों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस योजना के अंतर्गत बेहतर निष्पादन करने वाले राज्य, इस मद में निधियों का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसबीएम (यू) 2.0 के आईईसी और सीबी शीर्षों के अंतर्गत आबंटित निधियों का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि मिशन के दूरगामी परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

सिफारिश संख्या 12

सार्वजनिक शौचालयों (पीटी)/सामुदायिक शौचालयों (सीटी) का प्रचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को बढाने के लिए सार्वजनिक शौचालयों/सामुदायिक शौचालयों का प्रचालन और अनुरक्षण आवश्यक है। इस संबंध में, मंत्रालय ने बताया है कि इन परिसंपत्तियों का प्रचालन और अनुरक्षण, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है जो इसे अपनी निधियों के माध्यम से प्रदान करती है और उन्हें सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कोई भी मॉडल संचालित करने की स्वतंत्रता है जिसमें प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करना भी शामिल है। तथापि, एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कतिपय प्रवेश स्तर की शर्तों के अनुपालन को पूर्ण करना होता है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* विभिन्न घटकों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का दावा करने हेतु पात्र बनने के लिए सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करना भी शामिल है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहित करने के लिए दो वर्ष की छूट अवधि (एसबीएम-यू 2.0 मिशन के प्रथम दो वर्ष) है। मंत्रालय तृतीय पक्ष प्रमाणन के अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छता ऐप जैसे कदमों के माध्यम से ओएंडएम की सुविधा प्रदान करता है जो नागरिकों को सार्वजनिक शौचालयों से संबंधित शिकायतों सहित स्वच्छता संबंधी शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम बनाता है, गूगल मानचित्र पर सभी सीटी/पीटी का मानचित्रण करता है और सार्वजनिक शौचालयों की प्रतिक्रिया और रेटिंग सुविधाएं प्रदान करता है। समिति नोट करती है कि एसबीएम(यू) के मिशन उद्देश्यों में से एक कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) और

ओपेक्स (प्रचालन और अनुरक्षण) में एक सक्षम परिवेश तैयार करने के लिए यूएलबी की क्षमता में वृद्धि करना था और यह स्वीकार करना था कि इस दिशा में उपयोगकर्ता शुल्क उद्ग्रहित करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसलिए, समिति इस बात पर बल देती है कि एसबीएम (यू) 2.0 के तहत, भले ही सार्वजनिक शौचालयों (पीसी) और सामुदायिक शौचालयों (सीटी) का प्रचालन और रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि परिसंपत्तियां केंद्रीय सहायता से बनाई गई हैं और मिशन के परिणाम केवल वाताविक परिसंपत्तियों के निर्माण तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, इसलिए, सार्वजनिक शौचालय (पीटी) और सामुदायिक शौचालय (सीटी) के प्रचालन और रखरखाव को सतत निगरानी करनी चाहिए अन्यथा मिशन के तहत सृजित की गई परिसंपत्तियां और उनमें निवेश किया गया सरकारी धन बर्बाद हो जाएगा।

सिफारिश संख्या 13

स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने में एसबीएम (यू) के तहत इंदौर को एक मॉडल शहर के रूप में इंदौर का प्रचार

समिति ने गत छह वर्षों से लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में 'सबसे स्वच्छ शहर' का दर्जा प्राप्त करने वाले इंदौर शहर के अपने अध्ययन दौरे के दौरान बताया कि स्वच्छता अभियान (साफ-सफाई अभियान) में लोगों की भागीदारी इंदौर द्वारा 'सबसे स्वच्छ शहर' का दर्जा प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह भी बताया गया कि मिशन की शुरुआत के बाद से, शहर ने 01 वर्ष की अवधि के दौरान केवल एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित किया और होर्डिंग, बिलबोर्ड, स्थानीय रेडियो, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में निरंतर घोषणाओं आदि के माध्यम से विषय को सुदृढ़ किया गया, जिससे इंदौर के निवासियों के बीच जागरूकता पैदा हुई। परिणामस्वरूप, पूरा इंदौर शहर स्रोत पर अपशिष्ट के छह तरीके से पृथक्करण का कार्य कर रहा है जो न केवल अपशिष्ट की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि इसके प्रसंस्करण के बाद उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। स्रोत पर अपशिष्ट के कुशल पृथक्करण से प्रसंस्करण तीव्र और सुलभ बनता है। समिति चाहती है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में एसबीएम (यू) के तहत इंदौर शहर को 'आदर्श शहर' के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अन्य सभी शहरों को 'स्वच्छता के इंदौर मॉडल' की स्वच्छता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 14

पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 1 लाख रुपये के ऋण की चौथी किस्त प्रदान किया जाना

समिति ने पीएम स्वनिधि पर अपने दसवें प्रतिवेदन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को इस योजना को मार्च, 2022 से आगे बढ़ाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया था क्योंकि यह सीधे स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करता है और इसपर बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि पीएम स्वनिधि योजना को मार्च, 2022 से आगे बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाना, दिसंबर, 2024 तक जारी रहेगा और 2187.49 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 7% की दर से ब्याज सब्सिडी का संवितरण किया जाएगा। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 433.94 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को केवल दिसंबर, 2022 के अंत में मंत्रालय को उपलब्ध कराया गया था और दिनांक 01.02.2023 तक मंत्रालय आवंटित

निधियों का केवल 37.35% उपयोग कर पाया था। तथापि, मंत्रालय ने समिति के समक्ष बताया है कि यह आशा है कि शेष राशि का उपयोग भी वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन 468 करोड़ रुपये है, जिसके समक्ष 8 लाख विक्रेताओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समिति की इस टिप्पणी पर कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित ऋण लक्ष्य को पिछले वित्तीय वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम कर दिया गया है, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार दिसंबर 2024 तक 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के ऋण की क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के लिए ऋण संवितरण का लक्ष्य क्रमशः 42 लाख, 12 लाख और 3 लाख रुपये है। इस प्रकार, दिसंबर 2024 तक संवितरित किए जाने वाला कुल ऋण 57 लाख हैं, जिनमें से 41.6 लाख ऋण पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं। शेष ऋणों में से 8 लाख ऋणों का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रखा गया है, जिसमें नए स्ट्रीट वेंडर्स तथा ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स दोनों को ऋण प्रदान किया जाना शामिल हैं, जो पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान के बाद उच्च ऋण प्राप्त करना चाहते हैं।

समिति का विश्वास है कि योजना के विस्तार के साथ, पीएम स्वनिधि के तहत निधियों की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस योजना ने समाज के सबसे निचले स्तर, अर्थात् पथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर, नियमित भुगतान को प्रोत्साहित करके सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह विक्रेताओं को सफलतापूर्वक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया है। समिति ने मंत्रालय से उन इच्छुक विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि के तहत 1 लाख रुपये के ऋण की चौथी किस्त प्रदान करने पर विचार करने का आग्रह किया, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और जो अपने व्यवसाय का विस्तार करने का इरादा रखते हैं। समिति यह भी चाहती है कि पीएम स्वनिधि स्कीम के प्रभाव आकलन मध्ययन का आयोजन करे और इसके बारे में समिति को अवगत कराए।

<u>सिफारिश संख्या 15</u>

<u>दीनदयाल अंत्योदय योजना को विस्तार दिए जाने की आवश्यकता – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)</u>

समिति नोट करती है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी परिवारों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी को कम करना, शहरी गरीबों के सुदृढ़ जमीनी स्तर के संस्थानों का सृजन करना आदि है। इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है।

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से, समिति ने पाया है कि वर्ष 2018-19 से, निधियों का 97% से अधिक का उपयोग हुआ है। समिति यह भी नोट करती है कि इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 70% कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। समिति इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ साझेदारी में एक लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए दिनांक 20.06.2022 से निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर असंगठित श्रम बल के लिए 'निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईपीयूएन)' नामक एक नवोन्मेषी कौशल पहल शुरू की है। समिति का विचार है कि बड़ी ग्रामीण आबादी जो अक्सर अकुशल होती है, रोजगार के अवसरों की तलाश में हमारे शहरों की ओर

पलायन करती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और मशीनों के बढ़ते उपयोग के साथ, कौशल प्राप्त करना उनकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता के लिए सर्वोपरि महत्व है जोकि एक ऐसा तथ्य है जिसे समय-समय पर विभिन्न उद्योगों द्वारा भी रेखांकित किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शहरों के सतत् विकास के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं, समिति यह महसूस करती है कि भविष्य में भी कार्यक्रम को जारी रखने की आवश्यकता है और समिति यह सिफारिश करती है कि योजना की अवधि को 31 मार्च, 2023 से आगे बढ़ाया जाए।

सिफारिश संख्या 16

लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) क्षेत्र विकास योजना के बजटीय आवंटन का उपयोग

समिति ने नोट किया कि पूर्ववर्ती पीएचई प्रशिक्षण कार्यक्रम को एक समर्पित बजट मद के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना अर्थात् पीएचई क्षेत्र विकास योजना के रूप में परिवर्तित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीईईएचओ), जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का तकनीकी स्कंध है, विभिन्न राज्य लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों, जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों आदि के सेवारत इंजीनियरों और पैरा-इंजीनियरिंग स्टॉफ को जल आपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

समिति आगे नोट करती कि पीएचई क्षेत्र विकास योजना के तहत बजट 2 करोड़ रुपये है। तथापि, वित्त वर्ष 2022-23 में मंत्रालय द्वारा कुछ भी खर्च नहीं किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अमृत, एसबीएम(यू) से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, यूएलबी आदि के बीच तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, एक बाधा है, समिति महसूस करती है कि क्षमता अभिवृद्धि, प्रशिक्षण आदि में बहुत अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लाभ को अधिकतम बनाने के लिए राज्य सरकार के तहत कार्यरत विभिन्न सिविल एजेंसियों को पूरी तरह से सुसज्जित किया जा सके। तथापि, यह विडंबना है कि एक ओर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकार के विभागों/शहरी स्थानीय निकायों की तकनीकी विशेषज्ञता में सुधार करने की आवश्यकता को रेखांकित कर रहा है और दूसरी ओर उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्धारित बजट का उनके द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अत:, समिति सिफारिश करती है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों में शामिल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/यूएलबी और अन्य हितधारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करे और उनका संचालन करे ताकि उपलब्ध निधियों का सार्थक उपयोग किया जा सके।

सिफारिश संख्या 17

सभी संसद सदस्यों को विभिन्न मिशनों और परियोजनाओं के प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड के लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करना

मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/मिशनों की जांच के दौरान, समिति के संज्ञान में लाया गया कि विभिन्न स्कीमों जैसे पीएमएवाई(यू), एसबीएम(यू), एएमआरयूटी आदि योजनाओं की बेहतर निगरानी के लिए मंत्रालय ने सभी हितधारकों के परामर्श से परियोजनाओं की प्रगति, जारी की गई निधियां, लंबित उपयोग, परियोजना की समय-सीमा, निष्पादन के विभिन्न चरणों का आरेखीय प्रदर्शन आदि से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी के साथ 'निष्पादन ट्रैकिंग डैशबोर्ड' शुरू किए हैं। इसमें परियोजना की समय सीमा, संस्वीकृति आदेश, उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि जैसी जानकारी भी होगी।

उपरोक्त डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं क्योंकि विशिष्ट और महत्वपूर्ण के साथ-साथ समय पर जानकारी प्रदान करना किसी भी योजना के सफल कार्यान्वयन में एक साधन है, विशेषरूप से जब परियोजना अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व की हो और जो व्यापक रूप से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करती हो।

अत:, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा ऐसे सभी डैशबोर्डों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स सृजित किए जाएं और सभी संसद सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले जिलों, शहरों में परियोजनाओं के निष्पादन की स्थिति की दिन-प्रतिदिन निगरानी कर सकें।

नई दिल्ली; **श्री राजीव रंजन उर्फ़ ललन सिंह**

14 मार्च, 2023 **सभापति**

23 फाल्गुन, 1944 (शक) **आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति**

□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□□

□□□□□ □□□□□(□□)		**2018-19**			**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**			**2023-24**
		□.□.	□□.□.	□□ □□□ □□□ □□□	□.□.	□□. □.	□□ □□□ □□□ □□□	□.□.	□□. □.	□□ □□□ □□□ □□□	□. □.	□□. □.	□□ □□□ □□□ □□□	□.□.	□□. □.	□□□ □□□ □□□ (01.02.23 □□ □□□ □□ □□□ □□□)	□.□.
1	□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ (□□□□)	**6505.00**	**6505.01**	**6134.62**	**6853.26**	**6853.26**	**6847.24**	**8000.00**	**21000.00**	**20983.06**	**8000**	**27000**	**26963.04**	**28000**	**28708**	**21343**	**25103.03**
2	□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□	**15000.00**	**15000.00**	**14470.24**	**19152.00**	**18890.1**	**18874.32**	**20000.00**	**9000.00**	**8992.55**	**23500**	**23480**	**23456**	**23875**	**20401.1**	**17879.5**	**23175.01**
3	□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ (□□□□)	**6000.00**	**6398.00**	**6182.83**	**7300.00**	**6392**	**6391.82**	**7300.00**	**6450.00**	**6448.35**	**7300**	**7300**	**7288**	**7300**	**6500**	**5515.17**	**8000**
4	100 □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□	**6169.00**	**6169.03**	**5902.10**	**6450.00**	**3450**	**3355.99**	**6450.00**	**3400.00**	**3384.21**	**6450**	**6600**	**6600**	**6800**	**8800**	**7195.16**	**8000**
5	□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□	**847.35**	**847.40**	**806.87**	**1050.10**	**1120.6**	**1119.78**	**1288.02**	**1591.40**	**1589.62**	**2352**	**2589.51**	**2636**	**3474.02**	**3374.02**	**2515.11**	**2799.96**

	□□□□															
6	□□□□□□ □□□□ □□□□	**2500.00**	**3000.00**	**2461.61**	**2650.00**	**1300**	**1298.37**	**2300.00**	**1010.05**	**1000.22**	**2300**	**2000**	**1969**	**2300**	**2000**	**937.98**	**5000**
7	□□□□□□– □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□	**310.00**	**510.00**	**498.09**	**750.00**	**750**	**732.07**	**795.00**	**819.20**	**816.61**	**795**	**795**	**794**	**900**	**550**	**116.66**	**0.01**
8	□□□□ □□□□□□□							**0**	**142.24**	**113.62**	**200**	**300**	**298**	**150**	**433.94**	**162.08**	**468**
9	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**
10	□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□	**400.00**	**400.00**	**368.74**	**400.00**	**371**	**252.45**	**150.00**	**106.28**	**85.00**	**120**	**85**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	□□□□ □□□□□□□*	**218.87**	**218.86**	**206.63**	**55.01**	**55.01**	**54.00**	**50.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**
12	□□□–□□□□□	**3814.91**	**3916.83**	**3580.14**	**3371.80**	**3207.79**	**3070.87**	**3706.88**	**3270.82**	**3288.13**	**3562**	**3698.75**	**3745.92**	**3748.44**	**3776.59**	**3129.22**	**3883.59**
	□□□	**41765.1**	**42965.1**	**40611.9**	**48032.2**	**42389.7**	**41996.9**	**50039.9**	**46790.99**	**46701.37**	**54581**	**73850.26**	**73840.46**	**76549.5**	**74545.6**	**58793.9**	**76431.6**
	□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□			94.52 %			99.07 %			99.81 %			99.98 %			78.87 %	

*□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□,□□□□ □□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□ 2022-23 □□□ □□□□□□□□ (□□) □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ 33,000 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ (□□□□) □□ □□□ □□□□□

		2017-2018	**2018-2019**		**2019-20**	**2020-21**
[illegible] ([illegible])		**8000**	**20000**		**15000**	**10000**

[illegible]-[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible], [illegible] ([illegible])		[illegible]
						[illegible]	[illegible]	
[illegible] 3	18.07.2013	33.50	26.08.2014	31.03.2020	-	79%	95.64%	[illegible]-I: 31.12.2023 [illegible]-II: 30.06.2024
[illegible]–[illegible]	07.12.2016	33.28	03.05.2017	31.12.2021	-	88%	86.58%	[illegible], 2023 (12 [illegible]. [illegible]. [illegible])
[illegible] ([illegible]-I)	21.08.2014	40.02	31.05.2015	[illegible] 2018	11.12.2022	100%	98.28%	-
[illegible] ([illegible]-II)	29.12.2022	43.80	-	29.12.2027	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]. 2027
[illegible]	27.02.2019	32.50	[illegible]. 2019	[illegible]. 2024	-	5.50 %	9.97%	[illegible], 2027
[illegible]–[illegible]	17.11.2014	40.03	[illegible] 2015	[illegible] 2018	6.50 [illegible]. [illegible].: 4.3.2019 32.1 [illegible]. [illegible].: 30.09.22 1.43 [illegible]. [illegible]. [illegible]	97.90%	89.03%	[illegible] 2023
[illegible]-[illegible]	9.3.2019	28.25	[illegible]2021	[illegible] 2024	-	22.30%	18.54%	[illegible] 2024
[illegible]	9.3.2019	40.35	[illegible] 2021	[illegible] 2024	-	13.75%	11.31%	[illegible] 2025
[illegible]..[illegible]-[illegible]	18.2.2009	45.05	[illegible], 2009	[illegible] 2015	10.02.2019 ([illegible])	-	-	-
[illegible]..[illegible]-[illegible]	15.6.2016	9.05	[illegible] 2016	[illegible] 2018	14.02.2021	-	-	-
[illegible]-[illegible]	21.11.1996 [illegible] ([illegible])	65.10	21.11.1996	-	2002 [illegible] 2006 [illegible]	-	-	-

[illegible] -[illegible]	30.03.2006 [illegible] 30.08.2012 [illegible] ([illegible])	124.93	30.03.2006	-	04.06.2008 [illegible] 27.08.2011 [illegible]	-	-	-
[illegible]-[illegible]	26.09.2011 [illegible] 14.02.2019 [illegible]([illegible])	160.07	26.09.2011	-	26.09.2014 [illegible] 18.09.2021 [illegible]	-	-	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible], [illegible] ([illegible])		[illegible]
						[illegible]	[illegible]	
[illegible]-[illegible](03 [illegible] [illegible])								
[illegible]	04.07.2019	23.62	20.12.2019	20.12.2024	-	22.40%	23.41%	20.12.2024
[illegible]-[illegible]. [illegible]	04.07.2019	29.26	08.11.2019	08.11.2024	-	36.25%	23.41%	20.12.2024
[illegible]-[illegible]	04.07.2019	12.32	20.12.2019	20.12.2024	-	32.71%	23.41%	20.12.2024
[illegible]-[illegible]	07.03.2019	82.15	[illegible], 2019	30.06.2025	-	46.9%	42.3%	30.06.2025
Lucknow Metro Rail Project	25.01.2016	22.88	02.09.2014	13.04.2019	08.03.2019	-	-	-
Kanpur [illegible]	27.05.2019	32.38	15.09.2019	30.11.2024	-	42.20%	39.25%	30.11.2024
Agra [illegible]	27.05.2019	29.4	07.12.2020	31.12.2025		14.02 %	13.7 %	31.12.2025
[illegible]-[illegible] ([illegible] 51 [illegible])	09.06.2017	29.71	01.05.2015	01.06.2018	26.01.2019			
[illegible]-I	18.06.2012	25.20	01.06.2013	31.06.2017	07.09.2020	-	-	
[illegible]-IA	25.06.2014([illegible].) 06.02.2023 ([illegible].[illegible])	2	03.06.2019	03.01.2022	01.09.2022	-	-	
[illegible]-II	21.11.2022	11.20	25.03.2023	20.11.2026	-			20.11.2026

[illegible]-I	[illegible], 2006 [illegible] 2010	42.30	[illegible] 2007	[illegible] 2015	[illegible], 2011 [illegible], 2017	-	-	-
[illegible]-2	[illegible]. 2014	72.10	[illegible]. 2016	[illegible], 2021	-	79.0%	80.4%	[illegible], 2025
[illegible]-2A &2B	[illegible], 2021	58.19	08.09.2021	[illegible], 2026	-	23.5%	23.33%	[illegible], 2026
[illegible]	30.11.2018	27.87	[illegible] 2021	[illegible] 2022	-	9.22%	12.11%	[illegible] 2026
[illegible]	30.11.2018	31.55	[illegible], 2021*	[illegible],2022	-	15.48%	13.52%	[illegible] 2026

□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□

□□□. □□.	□□□□□□/□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□ □□□)	□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□	□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□ □□□□□□ □□□)	□□□□□□□□□□□
1	□□. □□. □□□□□□ □□□□□	36			□□□□□□□□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□
2	□□□□□□ □□□□□□□	2948	552	8,517.69	
3	□□□□□□□□ □□□□□□□	226			□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□
4	□□□	775	59	956.42	
5	□□□□□□	2628			□□□□□□□□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□
6	□□□□□□□□	170	3	187.00	
7	□□□□□□□□□□	1303	98	1,630.18	
8	□□□□-□□□□ □□□□□ □□ □□□-□□□	30			□□□□□□□□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□
9	□□□□□□□	2885	66	2,170.53	
10	□□□□□	85	24	173.42	
11	□□□□□□□	4512	811	10,680.64	
12	□□□□□□□□	1496			□□□□□□□□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□
13	□□□□□□□ □□□□□□□	256	41	209.58	
14	□□□□□□ □□ □□□□□□□	867	153	1,665.11	
15	□□□□□□□	1183	61	1,428.06	
16	□□□□□□□□	4628	178	6,819.81	
17	□□□□□	1374	490	2,621.60	
18	□□□□□□□	128	3	195.05	
19	□□□□□□□□□□□	2			□□□□□□□□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□
20	□□□□□ □□□□□□□	4065	1244	7,982.10	
21	□□□□□□□□□□□	9310	192	20,207.41	
22	□□□□□□□	170	28	99.73	
23	□□□□□□□	111	1	121.00	

24	□□□□□□	143	166	157.78	
25	□□□□□□□□	176			□□□□□□□□□□□□□-□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□
26	□□□□□□	1373	147	2,923.10	
27	□□□□□□□□	150	13	159.20	
28	□□□□□	1836	104	2,873.41	
29	□□□□□□□□	3552	248	8,464.76	
30	□□□□□□□	40	8	49.41	
31	□□□□□□□□	4942	850	13,042.86	
32	□□□□□□□□	2789	107	5,355.05	
33	□□□□□□□□	157	15	182.27	
34	□□□□□ □□□□□□	8161	546	21,744.62	
35	□□□□□□□□□	585	19	263.04	
36	□□□□□□ □□□□□	3658	300	8,754.69	
	□□□ □□□	**66,750**	**6,527**	**1,29,635.52**	

□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□-□□□□ □□□□□□

□□□. □□.	□□□□□□	□□□□□□□□□/□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□ □□□□)	□□□□□□□□□ □□□□□□□ (%)	□□□□□□□□ □□□□□□□ (%)
1	□□□□□□ □□□□□□□	8517.69	0.00%	0.00%
2	□□□□	956.42	0.00%	0.00%
3	□□□□□□□□□	187.00	0.00%	0.00%
4	□□□□□□□□□□□	1630.18	0.00%	0.00%
5	□□□□□□□	2170.53	0.00%	0.00%
6	□□□□□	173.42	0.00%	0.00%
7	□□□□□□□	10622.09	1.25%	0.70%
8	□□□□□□□ □□□□□□□	209.46	0.00%	0.00%
9	□□□□□□ □□ □□□□□□□	1665.11	0.00%	0.00%
10	□□□□□□□	1428.06	0.00%	0.00%
11	□□□□□□□□	6819.81	0.00%	0.00%
12	□□□□□	2621.60	0.00%	0.00%
13	□□□□□□□	195.05	0.00%	0.00%
14	□□□□□ □□□□□□□	7982.10	0.00%	0.00%
15	□□□□□□□□□□□□	20210.46	0.00%	0.00%
16	□□□□□□□	99.73	0.00%	0.00%
17	□□□□□□□	121.00	22.00%	19.92%
18	□□□□□□□	157.78	0.00%	0.00%
19	□□□□□□□	2746.15	7.24%	5.96%

20	□□□□□□□□□	159.20	0.00%	0.00%
21	□□□□□□	2873.41	0.00%	0.00%
22	□□□□□□□□□	8464.76	0.00%	0.00%
23	□□□□□□□□	49.41	0.00%	0.00%
24	□□□□□□□□□	13101.00	0.29%	0.15%
25	□□□□□□□□□	5355.05	0.00%	0.00%
26	□□□□□□□□□	160.17	0.00%	0.00%
27	□□□□□□ □□□□□□□	21744.62	0.00%	0.00%
28	□□□□□□□□□□	263.04	0.00%	0.00%
29	□□□□□□□ □□□□□□	8666.08	0.00%	0.00%
	□□□ □□□	129350.38	0.31%	0.22%

(□□□□/□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□)

□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□-□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□	□□□	□□□□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□□□□		□□□□□□□□ □□□□□□	
			□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□	□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□	□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□□□	777.65	245.00	200.00	78	7
□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□	1812.00	488.00	488.00	42	0
□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□	1993.03	490.00	488.00	10	72
□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□	1610.95	392.00	279.00	78	58
□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	1601.87	490.00	450.00	204	53
□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□	1343.00	243.00	61.61	80	7
□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□	1535.00	245.00	51.77	64	12
□□□	□□□□□□□□□	2256.00	294.00	244.80	185	9
□□□□□	□□□□□□□□	1309.30	294.00	245.00	53	9
□□□□□	□□□□□□□□□□	1517.00	196.00	196.00	43	38
□□□□□	□□□□□□□□□□□	1580.00	245.00	247.50	49	9
□□□□□	□□□□	2499.00	243.00	194.00	108	19
□□□□□□□	□□□□□□□	5979.39	441.00	380.00	119	81
□□□□□□□□□	□□□ □□□	1678.60	243.00	171.00	25	10
□□□□□□□□□	□□□□□□□□	3966.32	245.00	194.00	48	45
□□□□□□□□□	□□□□□□	3940.00	392.00	343.00	90	240
□□□□ □□□ □□□□ □□□□□	□□□□□□□	1083.00	196.00	340.34	83	8
□□□ □□□ □□□	□□□	1442.70	110.00	158.54	50	14
□□□□□□	□□□□□□□□	1897.27	343.00	300.00	40	97
□□□□	□□□□	1775.12	294.00	242.30	35	23
□□□□□□	□□□□□□□□	2290.00	490.00	452.25	94	65

□□□□□□□	□□□□□□	1029.00	343.00	292.00	37	23
□□□□□□□	□□□□□□□□□	1408.00	392.00	392.00	76	14
□□□□□□□	□□□□□□□	2623.00	392.00	342.00	136	34
□□□□□□□	□□□□□	2597.00	490.00	492.50	53	78
□□□□□□□	□□□□□□□□	2006.75	392.00	365.50	76	46
□□□□□□□□	□□□□□□□□□	2577.47	392.00	392.00	119	18
□□□□□□□□	□□□□□□	1211.00	294.00	294.00	136	79
□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□	2109.69	392.00	52.89	82	35
□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□	2730.00	292.00	194.00	105	103
□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□□□	3464.49	244.00	195.01	61	74
□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□□□□□	3634.00	195.00	127.40	28	82
□□□□□□□	□□□□□□	1489.27	490.00	490.00	38	18
□□□□□□□□	□□□□□□□□□	3534.50	441.00	413.00	47	195
□□□□□□□□	□□□□□□□□□	1792.35	390.00	414.00	97	36
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□	1307.18	441.00	415.00	24	104
□□□□□□□□	□□□□□□□□-□□□□□□□□	1662.00	392.00	414.00	219	69
□□□□□□□□	□□□□□□□□□	2000.72	392.00	392.00	25	80
□□□□□□□□	□□□□□□□□	1517.39	452.91	464.00	71	97
□□□□□□□□	□□□□□□□□□	2227.00	441.00	414.00	80	204
□□□□□	□□□□□□□	2076.24	294.00	298.00	81	31
□□□□□	□□□□□□□□□□□	1538.20	243.00	243.00	76	31
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	527.00	60.00	13.59	79	5
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□	2719.11	490.00	500.00	135	78
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□	2250.00	294.00	250.00	27	50
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□	5099.60	490.00	500.00	127	220
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□	3998.50	441.00	400.00	103	94
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□	1608.00	294.00	280.00	48	49
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□	1457.00	294.00	250.00	16	36
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□	2176.17	392.00	400.00	114	57
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	1562.82	392.00	421.50	50	35

□□□□□□□□□□□	□□□□□□□-□□□□□□□□□	2027.00	245.00	196.00	90	9
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□	1002.00	343.00	294.00	53	8
□□□□□□□□□□□	□□□□□□	2193.72	245.00	245.50	23	40
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□-□□□□□□□□□	1094.50	490.00	440.92	42	17
□□□□□□□□□□□	□□□□□	2363.00	490.00	488.52	168	45
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□	2247.00	392.00	361.48	84	42
□□□□□□□□□□□	□□□□□	5404.00	392.00	375.25	79	40
□□□□□□□	□□□□□□□	1523.00	245.00	20.00	50	9
□□□□□□□	□□□□□□□	1039.00	294.00	55.00	96	1
□□□□□□□	□□□□□□	2053.01	196.00	106.88	105	7
□□□□□□□□□	□□□□□□□	1661.25	318.50	30.00	101	27
□□□□□□□	□□□□□□□□□□	4537.00	490.00	500.00	335	26
□□□□□□□	□□□□□□□□□	2571.27	392.00	400.00	25	58
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	1828.00	196.00	60.00	178	20
□□□□□□	□□□□□□□	3430.88	343.00	300.00	23	31
□□□□□□	□□□□□□□	1984.51	294.00	245.50	228	51
□□□□□□	□□□□□□□□□	1049.28	392.00	400.00	31	51
□□□□□□□□□	□□□□□□	1770.00	441.00	422.00	61	158
□□□□□□□□□	□□□□□□	2340.53	441.00	400.00	109	130
□□□□□□□□□	□□□□□	1387.00	441.00	430.00	46	74
□□□□□□□□□	□□□□□□□	1221.00	490.00	500.00	39	129
□□□□□□□□	□□□□□□□	2234.00	292.00	29.94	224	6
□□□□□□□□	□□□□□□	921.56	318.50	25.00	24	12
□□□□□□□□□	□□□□□□□	1366.25	490.00	500.00	49	43
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	1570.00	490.00	500.00	70	57
□□□□□□□□□	□□□□□	1544.00	490.00	450.00	45	39
□□□□□□□□□	□□□□□□	1342.00	490.00	449.52	50	16
□□□□□□□□□	□□□□□□	1908.60	490.00	500.00	54	74
□□□□□□□□□	□□□□□□□□	1289.52	490.00	450.00	49	82
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	1327.00	441.00	450.00	62	53
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	1271.00	490.00	450.00	51	55
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	1218.00	441.00	424.76	85	56

□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	1190.00	465.50	475.00	85	23
□□□□□□□□□	□□□□□□□□	1281.12	490.00	487.26	42	41
□□□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□	2740.00	196.00	70.00	128	32
□□□□□□□□□	□□□□□□□□	1731.00	245.00	196.00	246	16
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	1988.36	453.25	78.31	26	62
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□	2133.00	490.00	490.00	21	60
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□	2566.86	392.00	392.00	32	32
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□	1922.74	392.00	343.00	28	62
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□	1728.00	392.00	391.00	50	51
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□	2311.96	441.00	391.50	61	55
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□	2053.33	392.00	391.50	18	66
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□□	1767.00	294.00	293.50	48	21
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□□	2239.48	392.00	391.50	75	87
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□	1679.00	245.00	244.50	72	26
□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□	2269.58	490.00	490.00	105	104
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	1348.00	345.50	342.50	71	24
□□□□□□□ □□□□□□	□□□□ □□□□ □□□□□□□□	1532.41	392.00	343.00	40	164
	□□□	**203021.37**	**36561.16**	**32149.34**	**7821**	**5343**

(□□□□□□:15 □□□□□□ 2023 □□ □□-□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□)

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□□) 2.0 – □□□□□□□□ □□□□□□□ – □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□							
□□□. □□.	□□□□□□/□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□ □□□□ □□					
		□□□□□ □□ □□□□□ □□□	□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□	□□□□ □□	□□ □□	□□ □
1	□□. □□□ □□. □□□□□□ □□□□□	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	**0.06**
2	□□□□□□ □□□□□□□	20.30	152.20	111.78	9.60	4.80	**298.68**
3	□□□□□□□□ □□□□□□□	0.42	0.56	4.61	0.00	0.56	**6.15**
4	□□□	0.00	42.92	23.17	6.53	3.54	**76.16**
5	□□□□□□	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	**8.58**
6	□□□□□□□□	0.00	0.02	11.38	0.00	0.52	**11.92**
7	□□□□□□□□□□	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	**10.14**
8	□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	**0.18**
9	□□□□□□□	0.00	0.20	174.44	0.00	0.10	**174.74**
10	□□□□□	1.16	3.15	2.58	0.45	0.38	**7.72**
11	□□□□□□□	0.00	3.30	57.85	0.00	3.30	**64.45**
12	□□□□□□□□	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	**5.58**
13	□□□□□□□ □□□□□□□	0.00	1.22	2.92	0.00	1.66	**5.80**
14	□□□□□□ □□□□ □□□□□□□	0.00	3.20	3.20	0.00	1.60	**8.00**
15	□□□□□□□	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	**2.52**
16	□□□□□□□□	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	**17.22**
17	□□□□□	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	**5.64**
18	□□□□□□□	0.00	0.14	0.14	0.00	0.04	**0.32**
19	□□□□□ □□□□□□□	0.00	8.24	10.67	0.00	11.52	**30.43**
20	□□□□□□□□□□□	0.00	8.04	86.75	41.25	8.04	**144.08**
21	□□□□□□□	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	**1.62**
22	□□□□□□□	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	**0.60**
23	□□□□□□□	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	**1.38**
24	□□□□□□□□□	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	**2.34**
25	□□□□□□□	9.75	2.28	61.39	65.20	26.08	**164.70**
26	□□□□□□□□□	0.00	0.20	0.20	0.00	0.10	**0.50**
27	□□□□□□	15.69	90.74	84.04	0.00	3.32	**193.79**

28	□□□□□□□□	0.00	3.96	33.68	6.24	3.96	**47.84**
29	□□□□□□□	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	**0.42**
30	□□□□□□□□	57.91	340.07	163.89	11.90	13.32	**587.10**
31	□□□□□□□□	0.00	2.82	38.50	0.00	2.82	**44.14**
32	□□□□□□□□	0.00	0.40	4.73	0.00	0.40	**5.53**
33	□□□□□ □□□□□□	0.00	14.48	14.48	0.00	14.48	**43.44**
34	□□□□□□□□□	0.00	2.02	28.64	0.00	2.02	**32.68**
35	□□□□□□ □□□□□	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	**7.68**
□□□□□/□□□ □□□□□ □□□□□□□		**105.23**	**701.48**	**940.37**	**141.17**	**123.88**	**2012.13**

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति की मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही-सारांश

समिति की बैठक 1130 बजे से 1630 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

सदस्य का नाम **लोकसभा**

2. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
3. श्री रामचरण बोहरा
4. श्री शंकर लालवानी
5. श्री पी.सी .मोहन
6. श्रीमती अपराजिता सारंगी
7. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण
8. श्री सुनील कुमार सोनी
9. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर

राज्यसभा

10. श्री आर .गिरिराजन
11. श्रीमती जेबी माथेर हीशम
12. श्री कुमार केतकर
13. डा .के .लक्ष्मण
14. श्री एस .निरंजन रेड्डी
15. डा .कल्पना सैनी
16. श्री संजय सिंह

सचिवालय

1. □□□□ □□□.□□. □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
2. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ निदेशक
3. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

1. श्री मनोज जोशी सचिव, एमओएचएंडयूए
2. □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ अपर सचिव, एमओएचएंडयूए
3. □□□□□□ □□ .□□□□ अपर सचिव, एमओएचएंडयूए

4.	□□□□ □□.□□ .□□□□	अपर सचिव, एमओएचएंडयूए
5.	□□□□ □□□□□ □□□□□	संयुक्त सचिव, एमओएचएंडयूए
6.	□□□□ □□□□□□ □□□□□□	संयुक्त सचिव, एमओएचएंडयूए
7.	□□□□□□ □□□□ □□□□□□	संयुक्त सचिव, एमओएचएंडयूए
8.	□□□□ □□□□ □□□□□□□	संयुक्त सचिव, एमओएचएंडयूए
9.	□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□	संयुक्त सचिव, एमओएचएंडयूए
10.	□□□□ □□□□□ □□□□□	आर्थिक सलाहकार
11.	□□□□ □□□□□ □□□□	संयुक्त सचिव, एमओएचएंडयूए
12.	□□□□ □□□□□	जेएस एंड एफए
13.	□□□□ □□□□□	जेएस एंड ओएसडी

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□□□)

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□)

□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ ,□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□)

□□□□ □□.□□ .□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□)

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□ □□□□ (□□□□□□□)

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ ,□□□□□□□

□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□)

□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ ,□□□□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□□ (□□□□□□)

□□□□ □□ .□□□□□□□□□□□ □□□□ ,□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ (□□□□□)

□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ ,□□□□□

2. सर्वप्रथम, सभापति ने 'आवसन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2023-24) पर आवसन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु आयोजित की गई बैठक में सदस्यों और मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

सभापति ने मंत्रालय से यह पूछा कि आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय अनुमानों में कमी से मंत्रालय अपने विभिन्न चालू मिशनों और योजनाओं या 'कल के टिकाऊ शहरों' में बदलाव के संबंध में वित्त मंत्रालय की बजटीय घोषणाओं तथा मैनहोल से मशीन होल पद्धति में शतप्रतिशत बदलाव कर शहरी स्वच्छता को बढ़ाने के तहत लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त करने की स्थिति में होगा।

3. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2023-24) की जांच' के संबंध में समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी, जिसमें वर्षों के दौरान व्यय और बजटीय आवंटन की समग्र प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया, वर्ष 2023-24 के लिए क्षेत्र-वार, योजना-वार प्रस्तावित आवंटन और योजना-वार कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई।

4. तत्पश्चात्, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों जैसे कि मंत्रालय द्वारा अनुमानित निधियों की तुलना में निधियों का कम आबंटन, एसबीएम (यू) निधियों के अंतर्गत निर्माण किए गए सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव, कतिपय राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं की धीमी प्रगति, पीएम 'स्वनिधि' के अंतर्गत निर्धारित कम लक्ष्य, समग्र परियोजनाओं की समीक्षा आदि का उत्तर दिया।

5. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया था कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों / प्रश्नों के उत्तर लिखित प्रस्तुत करें, जिनके उत्तर चर्चा के दौरान तुरंत उपलब्ध नहीं हैं।

बैठक की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया।

<u>तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

*****

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति की मंगलवार, 14 मार्च, 2023 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश

समिति की बैठक 1530 बजे से 1630 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, '2' भूतल, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री बंदी संजय कुमार
3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
4. श्री सुनील कुमार सोनी
5. श्री बैन्नी बेहनन
6. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
7. श्री हसनैन मसूदी
8. श्री रामचरण बोहरा
9. श्री शंकर लालवानी
10. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण
11. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे

राज्यसभा

12. डा .कल्पना सैनी
13. श्री कुमार केतकर
14. श्री आर .गिरिराजन
15. श्रीमती जेबी माथेर हीशम
16. डा .के .लक्ष्मण
17. श्री एस .निरंजन रेड्डी
18 श्री संजय सिंह
19. सुश्री कविता पाटीदार

सचिवालय

1. श्री वाई.एम. कांडपाल संयुक्त सचिव

2. सुश्री अर्चना पठानिया निदेशक
3. सुश्री स्वाति परवाल उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने 'आवसन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु आयोजित की गई बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

* * * * * * *

3. तत्पश्चात्, समिति ने 'आवसन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा इसे बिना किसी संशोधनों के स्वीकार किया।

* * * * * * *

* □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□

<u>तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

*****